राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 10] चौदहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का आठवां दिवस [संख्या: 06

सोमवार,
12 फरवरी 2018

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

अनुरोध एवं मांग

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक को वापस लिया जाए

श्री अध्यक्ष: राम राम सा। नमस्कार। आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2018-2019 का उपस्थापन। माननीय मुख्य मंत्री।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, काले कानून को वापस नहीं किया। इस काले कानून को वापस लेना चाहिए। आप क्यों नहीं वापस लेते काले कानून को? अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि इस प्रदेश के भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट जन प्रतिनिधियों को बचाने का जो कानून लाया गया है, इसको वापस लो, तब जाकर बजट पेश करना। अध्यक्ष महोदय, इस बजट का मुझे पता है कि यह बजट सिर्फ लोक लुभावना है। चुनावी बजट है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसानों का कर्जा माफ नहीं कर रहे। किसानों के कर्जे के लिए कमेटी आपने बना दी। राजस्थान के किसान ने क्या बुरा किया था ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): पद की तो गरिमा रखो, प्रतिपक्ष के नेता। इस पद की तो गरिमा रखो। यहां भैरोंसिंह जी शेखावत जैसे दिग्गज विराजे हैं। क्यों इस पद की गरिमा कम कर रहे हो?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्यों नहीं कर्जा माफ कर रहे ...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस काले कानून को वापस लो ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इस पद की तो गरिमा रखो।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, हम यही निवेदन करना चाहते हैं ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह क्या कह रहे हैं ...(व्यवधान)... मैं समझता हूं कि सदन की गरिमा को तार-तार कर दिया है आज इन्होंने बीच में खड़े होकर ..(व्यवधान)...

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): इस काले कानून को वापस लो ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप कह चुके इसको। अब आप स्थान ग्रहण कीजिए ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): मर्यादाओं का ध्यान रखें, नेता प्रतिपक्ष। आप मर्यादा को कलंकित कर रहे हैं। यहां पर विपक्ष के नेता की गरिमा आप नहीं निभा रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): इस काले कानून को आप वापस लो ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): विपक्ष के नेता की मर्यादा का आप पालन करें। आप बैठिए ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए। मैं आपसे कह रहा हूं, आप विराजिए। यह भाषण होने दीजिए उसके बाद आपको तीन दिन का टाइम मिलेगा। आपके सभी सदस्यों को मिलेगा। जितना आप में आक्रोश है, जितनी आपकी आलोचना है, सब यहां व्यक्त कीजिए ...(व्यवधान)... आप बैठिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप बैठिए। कृपया बैठिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पूर्व में हमारे मुख्य मंत्रीजी ...(व्यवधान)... श्री अध्यक्ष: डोटासरा जी, आप भी बैठिए ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): डोटासरा जी, नेता प्रतिपक्ष और आपकी प्रतिस्पर्धा यहां सदन में आप मत दिखाओ। आपका जो आपस में विवाद है, उसके कारण यहां सदन की गरिमा मत तोड़ो ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप विराजें ...(व्यवधान)... एक भी शब्द किसी का रिकार्ड पर नहीं जाना चाहिए ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): 000

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री अध्यक्ष: आप विराजें ...(व्यवधान)...

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): 000

श्री अध्यक्ष: कृपया बैठ जाइए ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री अध्यक्ष: मजाक समझ रखी है। यह विधान सभा है। सारी ताकत है हमारे पास। सबको मैं बाहर निकलवा दूंगा अगर आपने इस तरह डिस्टर्ब किया तो। हां, निकलवा देंगे। लाओ जी, 33 लाओ यह। ...(व्यवधान)... यह नहीं मानते हैं। यह आपका व्यवहार राजस्थान की जनता देख रही है। आपका व्यवहार निंदनीय है ...(व्यवधान)...

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: बैठ जाइए, सुखराम जी। बैठ जाइए। आप समझाइये न इनको। आप तो वरिष्ठ नेता हैं। आप बताइए, प्रद्युम्न सिंह जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मजाक बना रखा है इस विधान सभा को ...(व्यवधान)... आपका उचित नहीं है। हां, आप बैठिए। आप बैठाएं सबको।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: बैठ जाओ। हनुमान जी, बैठ जाओ ...(व्यवधान)... हो गया। हो गया। मुख्य मंत्रीजी का भाषण सुनिए।

आय व्ययक

आय व्ययक अनुमान वर्ष 2018-19 का उपस्थापन

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2017-18 के संशोधित अनुमान और वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रही हूं।

(2) आज मुझे 13 दिसम्बर, 2013 का वह दिन याद आ रहा है, जब हमने जनता के विश्वास का मान रखते हुए बुलंद हौसलों के साथ एक सशक्त और संपन्न राजस्थान बनाने का संकल्प लिया था। सरकार ने 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' की भावना से ठोस नीतियां और कार्यक्रम तैयार कर उन पर अमल किया है।

(3) 20 दिसम्बर, 2013 को मैंने राज्य के विकास के लिए VISION-2020 पेश करते हुए 5 priority sectors तय किये: Investment बढ़ाना, बेरोजगारी कम करना, अर्थव्यवस्था एवं शिक्षा में सुधार और कौशल विकास। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि इन सभी क्षेत्रों में हमने एक आम राजस्थानी के जीवन को बेहतर बनाया है।

(4) हमने बाड़मेर रिफाइनरी के अधूरे सपने को पूरा किया और इस प्रोजेक्ट को re-negotiate कर 40 हजार करोड़ रुपये की बचत की। इस रिफाइनरी के cascading effect से रोजगार के लगभग 1 लाख नए अवसर उपलब्ध होंगे और लोगों की आय बढ़ने से जीवन स्तर सुधरेगा और ancillary industries स्थापित होंगी। आपको यह जानकर खुशी होगी कि जैसलमेर और बाड़मेर को मुंद्रा एंड कांडला पोर्ट से जोड़ने के लिए एक नई रेलवे लाइन बिछाई जाने की योजना उच्च स्तर पर अब विचाराधीन है। यह रेलवे लाइन पश्चिमी राजस्थान के आर्थिक विकास के लिए वरदान साबित होगी। मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में होने वाले विकास से पश्चिमी राजस्थान का कायाकल्प होगा।

(5) हमने जयपुर को अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर लाने का संकल्प लिया।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

जयपुर में walled city का illumination और night tourism पर्यटकों के मुख्य आकर्षण बन गए हैं। आज झालाना में leopard safari, Museum of Legacy, माधवेन्द्र पैलेस का Sculpture park और रामनिवास बाग़ का मसाला चौक जयपुर की शान बन गये हैं। वहीं दूसरी ओर, रामनिवास गार्डन स्थित भूमिगत पार्किंग को दिल्ली जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर का underpass बनाए जाने की योजना चल रही है। इससे ना केवल walled city का traffic congestion दूर होगा बल्कि पुराने जयपुर की रौनक लौट आएगी। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगी कि अमानीशाह नाले का द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट के रूप में transformation-पर्यावरण, पर्यटन एवं नगरीय विकास के क्षेत्र में राज्य को एक model के रूप में स्थापित करेगा।

(6) बीकानेर स्थित Rajasthan State Archives अपने 1 करोड़ ऐतिहासिक अभिलेखों का digitization कर देश का प्रथम Digital Archives बन गया है। अब हमने 2 करोड़ ऐतिहासिक अभिलेखों के digitization और microfilming करने का लक्ष्य अपने हाथ में लिया है।

(7) राजस्थान, आज भामाशाह योजना के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के लाभ सीधे 5 करोड़ 50 लाख लोगों तक पहुंचाने वाला अनुकरणीय उदाहरण बन गया है। हमने देश में प्रथम Skills University की शुरूआत की और 2 लाख से अधिक युवाओं को अलग-अलग व्यवसायों में कौशल प्रशिक्षण दिया। हमारी सरकार ने 13 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाते हुए 1 लाख 50 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी में भी लिया है।

(8) आज राजस्थान भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से 4 करोड़ 50 लाख लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध करवा रहा है। स्वास्थ्य पर हो रहे खर्च को कम करने एवं गरीबों को इलाज की आधुनिक सुविधाएं देने के लिए इस योजना में 1 हजार 715 बीमारियों को कवर करते हुए 1 हजार 304 hospitals को जोड़ा गया है।

(9) GRAM का जयपुर, कोटा एवं उदयपुर में सफल आयोजन कर हमने 2 लाख किसान भाइयों से सीधा संवाद किया। सहकारी बैंकों के

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)
खाताधारियों को अब तक 9 लाख 47 हजार Bhamashah Co-branded Rupay Card जारी करने वाला राजस्थान एकमात्र राज्य है।

(10) बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के मूल मंत्र पर चलते हुए हमने 'मुख्य मंत्री राजश्री योजना' में 7 लाख 92 हजार से अधिक बेटियों को 198 करोड़ रुपये का लाभ दिया। 'मुख्य मंत्री सक्षम बालिका योजना' में 5 लाख बालिकाओं को आत्म रक्षा का प्रशिक्षण दिया गया।

(11) माननीय अध्यक्ष महोदय, 'विकास एवं सुशासन' मंजिल नहीं है, बल्कि निरंतर चलने वाली यात्रा है। हमने पिछले चार वर्षों में कई अहम पड़ाव हासिल किये हैं।

यह टीम राजस्थान की सच्ची लगन, निष्ठा और कठोर परिश्रम का परिणाम है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद भी विकास के इन पड़ावों तक हम सब पहुंच सके हैं। हम सभी को मालूम है कि विकास यात्रा में हमें किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और करना पड़ रहा है।

मैं अर्ज करना चाहूंगी कि,

यह मंजिल बड़ी जिद्दी होती है,
हासिल कहां नसीब से होती है।
मगर वहां तूफां भी हार जाते हैं,
जहां कश्तियां जिद पर होती हैं।

किसानों की आय बढ़े, कमजोर तबकों का सामाजिक-आर्थिक उत्थान हो, महिलाएं शिक्षित-सुरक्षित हों, नौजवानों को काम मिले, ऐसे खुशहाल राजस्थान का सपना साकार होने तक हम न रुकेंगे और न थकेंगे।

(12) हमारा यह बजट VISION-2020 से तय किये गये priority sectors में resources के लिए यथोचित उपयोग का blueprint है। यह बजट राज्य के सम्मुख शेष रही चुनौतियों को विकास के अवसरों में बदलने की दिशा में एक प्रयास है।

सड़क एवं परिवहन:

(13) आज देश भर में राजस्थान अपनी गुणवत्तापूर्ण सड़कों से जाना

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

जाता है। गत 4 वर्षों में हमने 49 हजार 878 किलोमीटर सड़कों construction, upgradation और renewal का महत्वाकांक्षी कार्य पूरा किया है। सरकार के द्वारा एक ओर जहां ग्रामीण क्षेत्रों में 21 हजार 614 किलोमीटर नई सड़कें बनायी गयीं, वहीं दूसरी ओर 28 हजार 264 किलोमीटर में National एवं State Highways, MDRs, ODRs और ग्रामीण सड़कों को बेहतर बनाया।

(14) सरकार ने गांवों में आवागमन की सुविधा एवं कीचड़ से मुक्ति के लिए नाली सहित सीमेंट व कंकरीट की मजबूत सड़कों का निर्माण किया। ग्रामीण गौरव पथ कही जाने वाली ये सड़कें आज गांव का गौरव हैं। हमने राज्य की कुल 9 हजार 891 ग्राम पंचायत मुख्यालयों में से 6 हजार 593 को ग्रामीण गौरव पथ योजना और 2 हजार 21 को मिसिंग लिंक योजना से जोड़ा है। हमारी सरकार शेष रहे ग्राम पंचायत मुख्यालयों को वर्ष 2018-19 में ग्रामीण गौरव पथ अथवा मिसिंग लिंक सड़कों से जोड़ने की घोषणा करती है। इन कार्यों पर अध्यक्ष महोदय, 766 करोड़ रुपये की लागत आना संभावित है।

(15) राज्य के सभी 200 विधान सभा क्षेत्रों में 15 किलोमीटर प्रति विधान सभा क्षेत्र, नवीन सड़कों का निर्माण करवाए जाने की घोषणा करती हूं।

(16) नाबार्ड योजना के तहत इस वर्ष 800 करोड़ रुपये की लागत से 5 हजार 336 किलोमीटर के 1 हजार 614 कार्य चालू किये गये हैं। अगले वर्ष में RIDF-24 के तहत 800 करोड़ रुपये की लागत से 5 हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के upgradation और renewal के नये कार्य हाथ में लिए जा रहे हैं।

(17) ADB Tranche-I में 2 हजार 452 करोड़ रुपये की लागत के 980 किलोमीटर के सड़क निर्माण कार्य शुरू कर कोटा, झालावाड़, अलवर, भरतपुर, बाड़मेर, जालौर, पाली, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, नागौर, जयपुर, अजमेर, सीकर और झुंझुनूं जिलों को लाभांवित किया जा रहा है। आगामी वर्ष में, ADB एवं विश्व बैंक से ऋण प्राप्त कर 2 हजार 274 करोड़ की लागत से 882 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य जोधपुर, नागौर और पाली जिलों में किया जाएगा।

(18) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रथम फेज के अंतिम चरण में 1 हजार 393 बसावटों को अब तक नवीन सड़कों से जोड़ने का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस योजना के द्वितीय चरण में 3 हजार 464 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के upgradation और maintenance के कार्य 1 हजार 622 करोड़ रुपये की लागत से किए जा रहे हैं।

(19) पिछले वर्ष की बजट घोषणा के अनुरूप NCRPB से ऋण प्राप्त कर अलवर जिले में 932 करोड़ रुपये की लागत से 629 किलोमीटर लम्बाई की 38 सड़कों के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।

(20) झालावाड़ जिले में 15 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से सारोला बाइपास का निर्माण करवाया जाएगा। सुसनेर-सुवांसरा सड़क निर्माण के लिए 32 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। नेवच नदी पर विंटेज कॉजवे निर्माण सहित चुरेलिया से सन्याघाट तक 4.5 किलोमीटर सड़क निर्माण पर 9 करोड़ 93 लाख रुपये का व्यय किया जाएगा। बारां जिले में रामगढ़ माताजी के परिक्रमा पथ को चौड़ा करने के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

(21) रामदेवरा भजन गायक रिखियों की ढाणी को रामदेवरा से जोड़ने के लिए 17 किलोमीटर की सड़क बनाई जाएगी। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय से सादुलशहर मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क का पुनर्निर्माण करवाया जाएगा।

(22) आमजन की सुविधा के लिए परिवहन कार्यालयों की लाइसेंस एवं वाहन सम्बन्धी सेवाओं के front office counters को, पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर, निजी क्षेत्र के माध्यम से संचालित किया जाएगा। साथ ही, मैं driving licence एवं vehicle registration सम्बन्धी समस्त आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से paper-less किये जाने की घोषणा करती हूं।

(23) मुझे प्रसन्नता है कि अजमेर को छोड़कर, जहां ट्रैक के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है, शेष 6 संभागीय मुख्यालयों एवं सात अन्य जिलों पाली, दौसा, सीकर, चित्तौड़गढ़, अलवर, झालावाड़ एवं डीडवाना-नागौर में fully automated driving track की निर्माण प्रक्रिया चालू हो गयी है। इसी क्रम में, बाकी रहे जिला परिवहन कार्यालयों में भी इस वर्ष fully automated driving tracks का निर्माण चालू करवाया जाएगा।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

(24) राज्य में पहली बार कुछ राजमार्गों जैसे फलौदी-जैसलमेर राजमार्ग, धौलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग तथा 3-4 अन्य Highways/Mega Highways को emergency landing airstrips के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना, चिकित्सा एवं कानून-व्यवस्था से सम्बन्धित आपदा के बेहतर प्रबंधन को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

(25) सड़क दुर्घटनाओं एवं उनसे होने वाली मृत्यु दर में कमी लाने के लिए capacity building हेतु जयपुर में 10 करोड़ रुपये की लागत से 'राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण केन्द्र' की स्थापना की जाएगी।

(26) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में 80 वर्ष से अधिक की आयु के वृद्धजनों को मुफ्त यात्रा सुविधा के साथ ही उनके एक attendant को 50 प्रतिशत की रियायती दर पर यात्रा की सुविधा प्रदान करने की घोषणा करती हूं।

(27) वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के 92 अधिसूचित bus stands हैं, जिनमें से 30 bus stands पर यात्रियों के लिए toilets की सुविधा नहीं है। इन जगहों पर भी आगामी वर्ष में toilets बनवाए जाने का काम प्रस्तावित है।

जल संसाधन एवं सिंचित क्षेत्र:

(28) राज्य में पिछले 4 वर्षों में 50 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में नवीन सिंचाई क्षमता का सृजन किया है। लम्बे समय से जनता की मांग को देखते हुए मैं 52 हजार करोड़ रुपये लागत की निम्न परियोजनाओं की घोषणा करती हूं, जिन्हें आवश्यक clearances प्राप्त करने के पश्चात् प्रारम्भ किया जाएगा:-

- प्रदेश के 13 जिलों- कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, झालावाड़, दौसा, बारां एवं धौलपुर के पेयजल एवं सिंचाई की दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 37 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली ERCP परियोजना की डीपीआर केन्द्रीय जल आयोग के समक्ष अब प्रस्तुत कर दी गयी है। परियोजना के तहत मोरेल, पांचना, पार्वती, बीसलपुर, रामगढ़, माशी और टोरडी सागर सहित 26 जलाशयों को

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

जोड़ा जाकर इन जलाशयों में भी अधिक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

- बीसलपुर बांध पिछले 16 वर्षों में केवल 4 बार ही पूरा भरा है। इसमें पानी की आवक बढ़ाने के लिए हमने 6 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली ब्राह्मणी-बनास परियोजना तैयार की गयी है। इस परियोजना से जयपुर, अजमेर और टोंक जिले लाभांवित होंगे।

- बांसवाड़ा जिले में अनास बांध निर्मित कर वर्तमान में माही बांध से सिंचित 35 हजार हैक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकती है। 1 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना से माही बांध के 7.24 TMC पानी की बचत होगी, जिसे अन्यत्र सिंचाई एवं पेयजल के लिए काम में लिया जाएगा।

- माही बांध से अपर हाई-लेवल कैनाल निकालकर बांसवाड़ा के सज्जनगढ़, बागीदोरा एवं गांगड़ तलाई के 26 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के सृजन हेतु रुपये 2 हजार करोड़ की लागत आना संभावित है।

- साबरमती बेसिन के अतिरिक्त जल से जवाई बांध के पुनर्भरण हेतु डीपीआर बनाने का कार्य अप्रैल माह तक पूरा किया जाना संभावित है। इस परियोजना की अनुमानित लागत रुपये 6 हजार करोड़ है। इसके अतिरिक्त, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए आगामी वर्ष में मैं रुपये 25 हजार 200 करोड़ लागत की निम्न परियोजनाओं की घोषणा करती हूं:-

- राजस्थान को ताजेवाला हैड पर आवंटित 577 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का उपयोग उपयुक्त carrier system के अभाव में नहीं हो पा रहा है। पाइप लाइन के माध्यम से इस पानी को लाने की परियोजना की feasibility report की स्वीकृति केन्द्रीय जल आयोग द्वारा हाल ही में जारी की गयी है। झुंझुनूं एवं चूरू को लाभान्वित करने वाली इस परियोजना की लागत रुपये 20 हजार करोड़ संभावित है।

- माही बांध के दायीं ओर से 265 किलोमीटर लंबी हाई-लेवल केनाल नागलिया पिकअप वियर से होती हुई वरदा तक बनाकर जाखम बांध के 28 हजार हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवायी जाएगी, जिससे

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

जाखम बांध का 5 टीएमसी पानी बचेगा। साथ ही प्रतापगढ़, डूंगरपुर एवं उदयपुर जिलों में लगभग 17 हजार हैक्टेयर नये क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का सृजन होगा। इस परियोजना की संभावित लागत रुपये 2 हजार 200 करोड़ है।

- उदयपुर एवं राजसमंद में दीर्घकालीन आवश्यकता को पूरा करने के लिए जाखम तथा देवास III एवं IV से पानी ले जाये जाने के लिए परियोजना तैयार की जाएगी। उक्त परियोजना की क्रियान्विति से भीम-राजसमंद की पेयजल समस्या का भी निदान होगा। इस योजना की अनुमानित लागत रुपये 3 हजार करोड़ होगी। यह स्पष्ट है कि राजस्थान को सतही जल से पेयजल के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये महत्त्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं। इन परियोजनाओं का वित्त पोषण न केवल स्वयं के संसाधनों से बल्कि भारत सरकार एवं अंतरराष्ट्रीय funding agencies का सहयोग प्राप्त कर ही किया जा सकता है। जिस प्रकार हमने बाड़मेर रिफाइनरी के लिए सफलतापूर्वक negotiate कर राज्य हित में प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है, उसी प्रकार हम इन परियोजनाओं को भी वित्त पोषित करवायेंगे और जमीन पर लाकर रहेंगे।

(29) पेयजल की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बत्तीसा नाला परियोजना-सिरोही, ईसरदा बांध परियोजना-टोंक एवं बीलीया परियोजना-जैसलमेर का कार्य आगामी वर्ष में आरंभ किया जाएगा।

(30) बारां जिले में हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना का कार्य आगामी वर्ष में चालू किया जाएगा। इस परियोजना से 6 हजार 885 हैक्टेयर क्षेत्र में नवीन सिंचाई सुविधा का सृजन होगा।

(31) JICA से पोषित Rajasthan Water Sector Livelihood Improvement Project (RWSLIP) में 16 जिलों- अजमेर, अलवर, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ, हनुमानगढ़, झालावाड़, करौली, पाली, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक एवं उदयपुर; World Bank पोषित Rajasthan Agricultural Competitiveness Project (RACP) में 7 जिलों-श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बारां, बूंदी, चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ तथा New Development Bank (NDB) पोषित Rajasthan Water Sector

Re-structuring Project for Desert Area (RWSRPD) में IGNP Stage-I क्षेत्र के 3 जिलों- श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं बीकानेर के सिंचित क्षेत्र को लाभान्वित कर कुल रुपये 1 हजार 658 करोड़ के कार्य आगामी वर्ष में आरंभ किये जायेंगे।

(32) बहुप्रतीक्षित परवन एवं धौलपुर लिफ्ट परियोजनाओं का कार्य शुरू कर दिया गया है। इनके लिए रुपये 1 हजार करोड़ एवं रुपये 150 करोड़ का प्रावधान आगामी वर्ष के लिए प्रस्तावित है। इसके साथ ही, तकली बांध परियोजना के भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य पूर्ण किया जाएगा जिससे परियोजना का लाभ क्षेत्रवासियों को शीघ्र मिल सके।

(33) सिंचित क्षेत्र विकास विभाग के माध्यम से चंबल, बीसलपुर, गंगनहर, भाखड़ा नहर, सिद्धमुख नोहर एवं अमर सिंह sub-branch परियोजनाओं पर आगामी वर्ष में रुपये 220 करोड़ का व्यय प्रस्तावित है।

(34) अकलेरा-झालावाड़ में मुख्य नाले को पक्का करने के लिए रुपये10 करोड़, बलिंडा घाट, झालरापाटन-झालावाड़ में कालीसिंध नदी की चौड़ाई बढ़ाने के लिए रुपये 15 करोड़ और आहू-चंवली रिवर लिंक चैनल के निर्माण के लिए रुपये 15 करोड़ तथा ग्राम कटावर-बारां में परवन नदी से सुरक्षा दीवार के निर्माण के लिए रुपये 3 करोड़ का प्रावधान रखा जाएगा। अन्ता-बारां में 7 करोड़ की लागत से बाढ़ बचाव कार्य करवाये जाएंगे। कड़ीखेड़ी एवं ग्राम देवरीभान-बारां में एनिकटों का रुपये 1 करोड़ 30 लाख की लागत से निर्माण करवाया जाएगा।

(35) मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन अभियान के प्रथम चरण के उत्साहजनक परिणामों को देखते हुए नगरीय क्षेत्रों में अभियान के द्वितीय चरण में राज्य के समस्त 191 शहर शामिल किये गये हैं, जिसमें 1 हजार 766 कार्यों पर रुपये 120 करोड़ खर्च किये जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में अभियान के दो चरणों की अभूतपूर्व सफलता से प्रेरित होकर तृतीय चरण में 4 हजार 240 गांवों में 1 लाख 40 हजार कार्य करवाये जाएंगे।

(36) वित्तीय वर्ष 2014-15 से अब तक राज्य में 36 वृहत् एवं अनेक परियोजनाओं को पूरा कर 16 हजार 439 गांव-ढाणियों तथा 27 कस्बों को गुणवत्तायुक्त पेयजल आपूर्ति से लाभान्वित किया गया।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

(37) वर्ष 2014-15 में वैज्ञानिक पद्धति से Rajasthan Drinking Water Grid की स्थापना हेतु घोषणा की गयी थी। सतही जल की प्रत्येक बूंद का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए grid को परिवर्धित कर विभिन्न जल स्रोतों से शुद्ध पेयजल को प्रत्येक पंचायत में उपलब्ध करवाने की कार्य योजना अंतिम चरण में है। इस दिशा में Regional Water Grid बनाकर, राज्य में पेयजल की उपलब्धता एवं आपूर्ति का दूरगामी समाधान हमारा लक्ष्य है। इस परिकल्पना को साकार करने के लिए मैं निम्न दो वृहत् परियोजनाओं की घोषणा करती हूं:-

- राजसमंद, चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की कमी

एक गंभीर समस्या है। दूसरी ओर, माही बजाज सागर में पर्याप्त पानी उपलब्ध है जिससे जयसमंद झील को canal एवं lift के द्वारा भरकर समस्याग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल की स्थायी व्यवस्था की जा सकती है। दस लाख से अधिक शहरी एवं ग्रामीणजन को लाभ पहुंचाने के लिए Mahi High Level Canal to Jaisamand Drinking Water Project पर रुपये 450 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

- बीसलपुर-जयपुर पेयजल परियोजना फेज़ द्वितीय की घोषणा पूर्व में की जा चुकी है। बीसलपुर बांध में जल की घटती हुयी आवक तथा जयपुर शहर की निरंतर बढ़ती पेयजल मांग को देखते हुए, सूरजपुरा WTP में अतिरिक्त जलशोधन क्षमता विकसित कर बालावाला तक 97 किलोमीटर लंबी दूसरी मुख्य पाइपलाइन बिछायी जाएगी। इस परियोजना पर रुपये 1 हजार करोड़ की लागत संभावित है।

(38) रुपये 2 हजार करोड़ की प्रस्तावित 'परवन-अकावद पेयजल परियोजना' से खानपुर, मनोहरथाना, लाडपुरा, पीपल्दा, सांगोद, अंता, बारां-अटरू, छबड़ा एवं किशनगढ़ क्षेत्र के 1 हजार 821 गांवों को लाभान्वित किया जाएगा। प्रथम चरण में, परियोजना की डीपीआर सहित बांध निर्माण में हिस्सा राशि का भुगतान तथा इन्टेक वैल का कार्य प्रस्तावित है।

(39) डूंगरपुर, आसपुर एवं दोवड़ा वृहत् पेयजल परियोजना पर रुपये 365 करोड़ का व्यय होना संभावित है। आगामी वर्ष में प्रारंभ की जाने वाली

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)
इस परियोजना से डूंगरपुर शहर सहित आसपुर एवं दोवड़ा क्षेत्र के 151 गांव एवं 244 ढाणियों में रहने वाले लगभग 5 लाख 32 हजार लोगों को लाभ मिलेगा।

(40) आगामी वर्ष में बूंदी जिले में चालू की जाने वाली गरड़दा वृहत् पेयजल परियोजना पर रुपये 182 करोड़ 86 लाख की लागत संभावित है। योजना से जिले के 111 गांवों एवं 91 ढाणियों में रहने वाले लगभग 2 लाख 90 हजार की आबादी को लाभ मिलेगा।

(41) बूंदी जिले में झालीजी का बराना वृहत् पेयजल परियोजना चालू की जाएगी। यह योजना रुपये 109 करोड़ 29 लाख की लागत से पूर्ण की जाएगी। इस परियोजना से केशवरायपाटन क्षेत्र के 72 गांवों के 1 लाख लोगों को लाभ मिलेगा।

(42) बारां जिले में रुपये 55 करोड़ 47 लाख की लागत से कछावन पेयजल परियोजना चालू की जाएगी। जिससे छबड़ा क्षेत्र के 16 गांवों एवं 3 ढाणियों के लगभग 20 हजार लोगों को लाभ मिलेगा। हमने पोकरण - फलसूंड - बालोतरा - सिवाना पेयजल परियोजना के क्रियान्वयन को गति देते हुए सितंबर, 2018 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

(43) पेयजल समस्या के समाधान हेतु आगामी गर्मियों में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में आवश्यकतानुसार अधिकतम 100 हैंड पंप स्वीकृत किये जाएंगे।

(44) मैंने पूर्व में आमजन को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए RO Plants की स्थापना की घोषणा की थी। इसी क्रम में, जल गुणवत्ता से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 500 नये RO Plants लगाये जाने की घोषणा करती हूं।

ऊर्जा:

(45) सदन को यह अवगत करवाते हुए मुझे खुशी हो रही है कि Central Board of Irrigation and Power (CBIP) ने वर्ष 2018 में 'राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम' को पिछले तीन वर्षों में किये गये बेहतरीन कार्यों के लिए देश के 'सर्वश्रेष्ठ कार्यरत पावर ट्रांसमिशन यूटिलिटी' के रूप में पुरस्कृत किया है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

(46) पिछले 4 वर्षों में विद्युत उत्पादन क्षमता में लगभग 6700 मेगावाट की वृद्धि हुई है। साथ ही, अक्षय ऊर्जा स्रोतों से इस अवधि में 3 हजार 161 मेगावाट उत्पादन क्षमता विकसित की गयी है। विद्युत उत्पादन निगम के संयंत्रों की कार्य कुशलता बढ़ने से प्रति यूनिट विद्युत उत्पादन में कोयला की खपत में कमी आयी है। Coal Swapping के कारण कोयले के परिवहन खर्च में प्रतिवर्ष 55 से 60 करोड़ की बचत हुई है। विद्युत उत्पादन निगम, जो कि वर्ष 2014-15 में 2 हजार 600 करोड़ से अधिक के घाटे में था, हमारे अथक प्रयासों से अब दिसम्बर, 2017 तक 400 करोड़ के मुनाफे में आ गया है। राज्य में प्रसारण तंत्र के विस्तार हेतु 765 केवी के दो, 400 केवी के छह, 220 केवी के 30, 132 केवी के 70 ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित किये गये हैं, लगा दिये गये हैं।

(47) पिछले 4 वर्ष में 33 केवी के 936 सब-स्टेशन स्थापित किये गये हैं एवं 1 लाख 77 हजार कृषि कनेक्शन तथा 24 लाख से अधिक घरेलू कनेक्शन जारी किये गये हैं।

(48) प्रसारण एवं वितरण तंत्र के विकास हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में 400 केवी का एक, 132 केवी के 15, 33 केवी के 200 नये सब-स्टेशन का लोकार्पण किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) तथा शहरी क्षेत्रों में Integrated Power Development Scheme (IPDS) के तहत 5 हजार 561 करोड़ के काम किये जा रहे हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत अब तक 9 लाख 62 हजार घरेलू कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इस क्रम में आगामी वर्ष में 7 लाख नये घरेलू विद्युत कनेक्शन देने की घोषणा करती हूं।

(49) विद्युत उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए 24 नये खण्ड और 93 उपखण्ड कार्यालय खोले जाकर विद्युत वितरण कम्पनी से संगठनात्मक ढांचे में सुधार किया जा रहा है।

(50) मैं किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए जनवरी, 2012 तक लम्बित 2 लाख कृषि कनेक्शन आगामी वर्ष में दिये जाने की घोषणा करती हूं।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

कृषि, कृषक एवं पशुपालक कल्याण:

(51) लघु एवं सीमांत कृषक, समाज के सबसे vulnerable वर्गों में से एक हैं। हमने overdue अल्पकालीन फसली ऋण माफी का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मैं लघु एवं सीमांत कृषकों के सहकारी बैंकों में 30 सितम्बर, 2017 को overdue ऋण में समस्त शास्तियों एवं ब्याज माफी की घोषणा करती हूं। इससे ये कृषक overdue से outstanding की श्रेणी में आ जाएंगे।

(52) इसी कड़ी में, इनको शामिल करते हुए सहकारी बैंकों के लघु और सीमांत कृषकों के 30 सितम्बर, 2017 तक outstanding अल्पकालीन फसली ऋण में से 50 हजार तक के कर्जे की एकबारीय माफी की घोषणा करती हूं। इसके क्रियान्वयन में राज्य सरकार पर लगभग 8 हजार करोड़ का वित्तीय भार पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): सम्पूर्ण कर्जा माफी करो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): पेट में दर्द हो रहा है प्रतिपक्ष के नेता? (व्यवधान) स्वागत करना चाहिए आपको। पेट में दर्द हो रहा है आपके। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): किसानों का सम्पूर्ण कर्जा माफ करो अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, किसान को सम्पूर्ण कर्जा माफी चाहिए। (व्यवधान) आपने वादा किया था, आपके प्रधान मंत्री जी ने वादा किया था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): क्या किसान का कर्जा माफ नहीं करना चाहिए? (व्यवधान) इतना विरोध कर रहे हो, इतना विरोध। क्या किसान का कर्जा माफ नहीं होना चाहिए? (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आपकी तो नैया डूब गयी। (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): सम्पूर्ण कर्जा माफ करो किसानों का। सम्पूर्ण कर्जा प्रत्येक किसान का माफ करो। (व्यवधान) आपने लघु, सीमांत

(श्री मनोज कुमार)

का किया है, सम्पूर्ण किसान का माफ करो। (व्यवधान) यह सम्पूर्ण किसानों के साथ धोखा है। (व्यवधान) सम्पूर्ण किसानों का कर्जा माफ किया जाए। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आपने किसानों को धोखा दिया और फिर यह धोखा दे रहे हो। (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): आपकी कमेटी का मतलब ही यह था, आपकी कमेटी का उद्देश्य ही यह था..... (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आपकी प्लानिंग फेल हो गयी। (व्यवधान) आपकी नैया डूब गयी। (व्यवधान) विपक्ष के षड्यंत्र विफल हो गये। नैया डूब गयी विपक्ष की। (व्यवधान) क्या किसान का कर्ज माफ नहीं होना चाहिए? (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आपने किसानों के मुद्दे को लेकर राजनीति की है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, किसान आत्महत्या कर रहा है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): ये नाटक कर रहे थे, नाटक। ये केवल नाटक कर रहे थे और वास्तव में आप लोग किसान हितैषी नहीं हो आप लोग। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: किसानों की कर्जा माफी की घोषणा के बाद क्या आपको अच्छा नहीं लगा इसलिए आप इस तरह से हल्ला कर रहे हैं? विराज जाइये। बैठ जाओ, बैठ जाओ। हनुमान जी, बैठ जाओ आप। कृपया बैठ जाइये। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। आपने दे दिया अपना प्रोटेस्ट जो भी करना है, बैठ जाइये। अब पूरा भाषण सुन लीजिये। (व्यवधान) हनुमान जी। मिस्टर बेनीवाल, विराजो। बैठो। मनोज जी, बैठो। अब आगे सुनिये, हो गया। (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): इसी कड़ी में इसको शामिल करते हुए सहकारी बैंकों के लघु एवं सीमांत कृषकों के 31 सितम्बर, 2017 तक outstanding अल्पकालीन फसली ऋण में से 50 हजार तक के कर्जे की एकबारीय माफी की घोषणा करती हूं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): उस किसान का सम्पूर्ण कर्जा माफ करो। (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): इसके क्रियान्वयन में राज्य सरकार पर लगभग 8 हजार करोड़ का वित्तीय भार पड़ने वाला है। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आपके इतना करने से, 50 हजार में किसान जिन्दा हो जाएगा? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता, विराजिये। कृपया विराजिये। (व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता, विराजिये। (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री):

(53) इसके अलावा, मैं राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग के गठन की घोषणा करती हूं जो कि एक.....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): किसान के साथ में धोखा कर रही है सरकार, किसान आत्महत्याएं कर रहा है।

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता, बैठिये। सुखराम जी, बैठिये।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): कोई नहीं, अब बैठ जाओ आप। आप भी बैठ जाओ। कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बैठ जाओ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: घनश्याम जी, बैठिये। (व्यवधान) बैठिये। कृपया, बैठिये। (व्यवधान) बैठिये। Mr. Dotasara, please sit down, otherwise I'll name you. otherwise I'll name you. (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): कोई धोखा नहीं दिया, आप बैठो।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): डोटासरा जी, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आपने आज तक किसानों का कुछ नहीं किया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: Please sit down, other wise I'll name you, I tell you, Mr. dotasara mind it. क्या मजाक है। (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): यह तो शुरूआत है।

श्री अध्यक्ष: हां-हां मैं कह रहा हूं। यहां डिस्टर्ब नहीं कर सकते आप इस

(श्री अध्यक्ष)

तरह। भाषण चल रहा है, कर लिया एक प्रोटेस्ट आपने। किसानों की कर्जा माफी की यह घोषणा आपके नहीं पची क्या? (व्यवधान) बैठ जाओ, मिस्टर। क्या मतलब है? (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री):

(53) इसके अलावा, मैं राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग के गठन की घोषणा करती हूं जो कि एक permanent institution के रूप में कार्य करेगा। कृषक इस आयोग के सामने अपना पक्ष रखकर merit के आधार पर राहत प्राप्त कर सकेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बेनीवाल, बैठ जाओ। मैं आपको नाम से पुकारूंगा, बैठ जाओ। हनुमान बेनीवाल, बैठ जाओ। नहीं, तो मैं आपको नाम से पुकारूंगा। पहले बैठ जाओ। बैठ जाओ पहले। मैं कह रहा हूं, बैठ जाओ। (व्यवधान) मैं तुमको नाम से पुकारता हूं, बाहर चले जाओ। मार्शल, इसको उठाकर बाहर फेंक दो। क्या बात कर रहे हो? बैठ जाओ। बैठ जाओ। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं कर्जे की ही तो बात कर रहा हूं। मैंने कर्जे की ही तो बात की है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं कह रहा हूं, बैठ जाओ, डिस्टर्ब मत करो। डिस्टर्ब मत करो, बैठ जाओ। बैठ जाओ आप। क्या मतलब है? मिस्टर डोटासरा, नो। मिस्टर डोटासरा, नो। उनको समझाइये न। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपका बैठने वाला आदेश मानें या फेंकने वाला? कौनसा आदेश मानें? किसान की कर्ज माफी पर बात करना अन्याय है क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मेरा आदेश मानें, बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): इस तरीके से कहने से कोई मतलब तो है नहीं। बजट सुन लो, फिर उसके बाद जो कहना है, आपको मौका मिलेगा। (व्यवधान)

इसको प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन बनाने की बात कर रहे हैं हम ताकि आगे भी कृषक इन आयोग के सामने आकर अपना पक्ष रखकर मैरिट के आधार पर राहत भी प्राप्त कर सकते हैं, so it's a on going process.

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

(व्यवधान) डोटासराजी, बैठ आओ। आपको मौका दिया था। आपने रिफ्यूज किया। मैं इसलिए कहती हूं, आप बैठें। आप बैठ जाइये। आप बैठ जाइये। सुनिये। बहुत हो गया।

(54) वर्ष 2018-19 में केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण हेतु रुपये 384 करोड़ ब्याज अनुदान एवं रुपये 160 करोड़ क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान के रूप में प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

(55) किसान भाइयों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिले, इसके लिए इस वर्ष अभी तक रुपये 2 हजार 814 करोड़ से 5 लाख 51 हजार मैट्रिक टन मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीद की जा चुकी है। इससे 2 लाख 93 हजार किसान लाभान्वित हुए हैं। इसी कड़ी में, मैं राजफैड को मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत सरसों और चने की उपज को समर्थन मूल्य पर खरीदने हेतु रुपये 500 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने की घोषणा कर रही हूं। सरकार द्वारा इस खरीद पर राजफैड को खरीद अवधि के दौरान देय मण्डी शुल्क में छूट उपलब्ध करवाई जाएगी।

(56) समर्थन मूल्य पर किसानों से की गयी खरीद के भण्डारण हेतु गोदामों की कमी महसूस की जा रही है। अतः राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम द्वारा रुपये 350 करोड़ की लागत से 5 लाख मैट्रिक टन भण्डारण क्षमता के गोदामों का भी निर्माण करवाया जाएगा।

(57) वर्षा जल के संरक्षण एवं कुशल उपयोग के लिए Farm Pond कार्यक्रम में समस्त श्रेणी के कृषकों को Farm Pond निर्माण पर पूर्व में देय लागत के 50 प्रतिशत अनुदान को बढ़ाकर 60 प्रतिशत किये जाने की मैं घोषणा करती हूं। किसानों को देय 10 प्रतिशत top-up अनुदान हेतु राज्य मद में रुपये 14 करोड़ का प्रावधान मैं प्रस्तावित करती हूं।

(58) कुओं एवं नलकूपों से सिंचाई जल का उपयोग करने के लिए जल हौज का निर्माण किसानों में बेहद लोकप्रिय है। किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए मैं, जल हौज निर्माण पर वर्तमान में देय 50 प्रतिशन अनुदान पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत top-up अनुदान देते हुए अधिकतम अनुदान की सीमा को रुपये 75 हजार से बढ़ाकर रुपये 90 हजार किये जाने की घोषणा

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

करती हूं। इस हेतु राज्य मद में रुपये 5 करोड़ 40 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।

(59) जल के समुचित उपयोग एवं सिंचित क्षेत्र की वृद्धि हेतु नहरी क्षेत्र में डिग्गी निर्माण पर लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रुपये 2 लाख का अनुदान देय है। किसानों की मांग को देखते हुए मैं, डिग्गी निर्माण पर 25 प्रतिशत top-up अनुदान देते हुए अधिकतम रुपये 3 लाख तक अनुदान दिये जाने की घोषणा करती हूं। इसके लिए राज्य मद में रुपये 90 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहें। कृपया शांत रहें।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री):

(60) GRAM के दौरान ग्रीन हाउस व शेडनैट हाउस तकनीकों के live demonstration से किसानों का इनके प्रति रुझान बढ़ा है। इनकी स्थापना हेतु लघु, सीमान्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसानों को राज्य द्वारा 20 प्रतिशत top-up subsidy दी जाकर 70 प्रतिशत अनुदान देय है। कृषकों की मांग को देखते हुए आगामी वर्ष में 2 हजार वर्ग मीटर तक के ग्रीन हाउस व शेडनैट की स्थापना पर लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रुपये 10 लाख प्रति इकाई अनुदान राज्य मद से दिये जाने हेतु रुपये 32 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

(61) भारत सरकार द्वारा 3 एवं 5 HP के सौर ऊर्जा पम्प संयंत्रों पर क्रमश: 25 एवं 20 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा दोनों श्रेणियों में कृषि विद्युत कनेक्शन विहीन किसानों को 30 प्रतिशत तथा सौर ऊर्जा पम्प के लिए कृषि विद्युत कनेक्शन आवेदन को समर्पित करने वाले किसानों को 45 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है। मैं, राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में देय अनुदान को बढ़ाकर 3 HP के लिए 35 एवं 5 HP के लिए 40 प्रतिशत अर्थात् दोनों ही श्रेणियों में कुल अनुदान को 60 प्रतिशत करने की घोषणा करती हूं। योजना में कृषि विद्युत कनेक्शन आवेदन को समर्पित करने पर पहले की तरह 15 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए रुपये 165 करोड़ का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

(62) किसानों को मांग अनुसार उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1 लाख 75 हजार मैट्रिक टन यूरिया तथा 50 हजार मैट्रिक टन DAP के अग्रिम भण्डारण की व्यवस्था पर रुपये 40 करोड़ का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

(63) राज्य में ऐसे जिले जहां वर्तमान में कृषि कालेज प्रावधित नहीं हैं, वहां निजी क्षेत्र द्वारा कृषि कालेज की स्थापना हेतु निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा।

(64) विज्ञान एवं तकनीक के प्रयोग के कारण कृषि संबंधी कार्यों में नंदी (नर गौवंश) की उपयोगिता कम होने से कृषकों द्वारा इनको असहाय छोड़ दिया जाता है। इन निराश्रित गौवंश की देखभाल करने के लिए प्रत्येक जिले में एक नंदी गौशाला को गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि से रुपये 50 लाख तक का अनुदान दिये जाने की घोषणा करती हूं।

(65) गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु संचालित गौशालाओं को चारा और पशु आहार के लिए वर्तमान में 90 दिन (तीन माह) की सहायता को बढ़ाकर 180 दिन (6 माह) किये जाने की घोषणा करती हूं।

(66) पंजीकृत गौशालाओं में आधारभूत संरचना के विकास हेतु गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि से आगामी वर्ष में रुपये 50 करोड़ खर्च कर गौआवास शेड, पानी का टांका, चारा भण्डार गृह आदि का निर्माण किया जाएगा।

(67) राज्य में स्वयं की 25 बीघा या अधिक भूमि पर संचालित की जाने वाली 25 गौशालाओं में 100 घन मीटर या अधिक क्षमता के Bio Gas Plant लगाने के लिए गोपालन विभाग द्वारा प्रति गौशाला लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रुपये 40 लाख तक का अनुदान दिये जाने की घोषणा करती हूं।

(68) राज्य में ऊंटों के संरक्षण तथा ऊंटपालकों की आय में वृद्धि हेतु ऊंटनी के दूध का प्रसंस्करण एवं विपणन करने के लिए जयपुर में एक mini plant स्थापित किया जाएगा। RCDF के माध्यम से pilot basis पर स्थापित किये जाने वाले प्लांट की लागत रुपये 5 करोड़ आएगी।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

महिला एवं बाल विकास:

(69) मैं सदन को अवगत करवाना चाहूंगी कि भारत सरकार द्वारा राज्य को बाल लिंगानुपात सुधारने पर वर्ष 2017 में 'नारी शक्ति पुरस्कार' दिया गया है। इसी वर्ष बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए झुंझुनूं जिले को सम्मानित किया गया है।

(70) हमने वर्ष 2016-17 के बजट में महिला मानदेयकर्मियों का मानदेय बढ़ाया था। महंगाई को ध्यान में रखते हुए मैं, महिला मानदेयकर्मियों का मानदेय बढ़ाते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता को रुपये 4 हजार 730 के स्थान पर रुपये 6 हजार, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता को रुपये 3 हजार 365 के स्थान पर रुपये 4 हजार 500, सहायिका को रुपये 2 हजार 565 के स्थान पर रुपये 3 हजार 500, साथिन को रुपये 2 हजार 400 के स्थान पर रुपये 3 हजार 300 एवं आशा सहयोगिनी को रुपये 1 हजार 850 के स्थान पर रुपये 2 हजार 500 प्रतिमाह देने की घोषणा करती हूं। इस बढ़ोतरी से 1 लाख 84 हजार महिला मानदेयकर्मी लाभान्वित होंगी।

(71) आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत मानदेयकर्मियों के कल्याण हेतु राज्य सरकार द्वारा सामुहिक बचत आधारित बीमा योजना का संचालन वर्ष 2006-07 से किया जा रहा है। इस योजना में राज्य सरकार तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता द्वारा रुपये 600 एवं अन्य मानदेय कर्मियों द्वारा रुपये 300 वार्षिक प्रीमियम 25:75 के अनुपात में भुगतान किया जाता है। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता तथा मानदेयकर्मियों द्वारा देय अंशदान को समाप्त करते हुए, मैं, प्रीमियम की शत-प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन करने की घोषणा करती हूं। साथ ही, इस बीमा योजना के लाभान्वितों में साथिन को भी शामिल करते हुए, राज्य सरकार के अंशदान को रुपये 1 करोड़ 45 लाख से बढ़ाकर रुपये 5 करोड़ करने की घोषणा करती हूं। इस योजना से भविष्य में 1 लाख 84 हजार महिला मानदेयकर्मी लाभान्वित होंगी।

(72) राज्य सरकार 15 से 45 आयु वर्ग की ग्रामीण बालिकाओं एवं महिलाओं में Menstrual Hygiene Scheme प्रारम्भ करने की घोषणा करती है। योजना में stake holder sensitization के साथ sanitary pads का वितरण किया जाएगा। विद्यालयों/महाविद्यालयों/, आंगनबाड़ी केन्द्र, उप-

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

स्वास्थ्य केन्द्र, अन्नपूर्णा भंडार के माध्यम से sanitary pads उपलब्ध करवाये जाएगे। योजना के लिए प्रारंभिक तौर पर रुपये 76 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

(73) Nursing Training Teachers (NTT) द्वारा लंबे समय से बाल विकास परियोजनाओं में नियोजित करने की मांग की जा रही है। मैं 1 हजार Nursing Training Teachers की भर्ती की घोषणा करती हूं।

(74) मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना का विस्तार करते हुए दसवीं बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक जिले की merit में आने वाली एक अनाथ बालिका को स्नातक स्तर तक सहायता प्रदान करने की घोषणा करती हूं।

(75) पंजीकृत महिला दुग्ध समितियों को दूध की गुणवत्ता में सुधार एवं आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए मैं 2 हजार लीटर क्षमता के 750 Bulk Milk Cooler एवं 1 हजार लीटर क्षमता के 250 Bulk Milk Cooler की खरीद पर लागत राशि का 50 प्रतिशत अनुदान दिये जाने की घोषणा करती हूं।

चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा

(76) भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का सफल क्रियान्वयन कर 16 लाख से अधिक रोगियों के लगभग रुपये 1 हजार करोड़ के claims बीमा कम्पनी को प्रेषित किये गये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध करवाये जाने हेतु 581 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं wellness centre के रूप में विकसित किया गया है। राज्य में जननी शिशु सुरक्षा योजना के प्रारंभ होने के पश्चात् संस्थागत प्रसव में लगभग 180 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(77) बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए इस वर्ष मैं, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाइयों में Centralized Oxygen Supply की व्यवस्था करवाये जाने की घोषणा करती हूं। 100 bedded वाली 22 तथा 50 bedded वाली 15 मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाइयों में पी.पी.पी. मोड पर यह व्यवस्था संचालित की जायेगी एवं इस पर कुल रुपये 18 करोड़ 57 लाख का व्यय होगा।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

(78) अग्नि संबंधी दुर्घटनाओं से बचाव के लिए प्रदेश के 27 जिला चिकित्सालयों में आधुनिक Fire Fighting एवं Fire Detection System स्थापित किये जाने की घोषणा करती हूं। इस पर रुपये 7 करोड़ 29 लाख व्यय किये जाएंगे।

(79) प्रदेश के 27 जिला चिकित्सालयों में प्रतिमाह लगभग 35 से 40 हजार यूनिट विद्युत की खपत प्रति चिकित्सालय होती है। इस विद्युत व्यय भार को कम करने के लिए जिला चिकित्सालयों में roof top solar विद्युत संयंत्रों की स्थापना resco model से किया जाना प्रस्तावित है।

(80) सैटेलाइट चिकित्सालय, शाहपुरा-भीलवाड़ा में beds की संख्या 75 से बढ़ाकर 100 किये जाने की घोषणा करती हूं। इस क्षमता वृद्धि पर रुपये 1 करोड़ 45 लाख वार्षिक व्यय होगा।

(81) जिला चिकित्सालय धौलपुर के नवीन भवन एवं क्वाटर्स के निर्माण हेतु गत वर्ष रुपये 100 करोड़ का प्रावधान किया गया था। इसी क्रम में, क्षेत्र के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए मैं अब धौलपुर में नवीन मेडिकल कालेज की स्थापना की घोषणा करती हूं।

(82) राज्य में ऐसे जिले जहां वर्तमान में मेडिकल कालेज प्रावधित नहीं हैं, वहां निजी क्षेत्र द्वारा मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा।

(83) प्रदेश में 28 नवीन PHC खोली जाएंगी तथा 16 PHCs को CHC में क्रमोन्नत किया जाएगा। इस पर रुपये 120 करोड़ की लागत आएगी।

(84) बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 4 हजार 514 नर्स ग्रेड-II तथा 5 हजार 558 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती किये जाने की घोषणा करती हूं।

(85) RUHS Medical College, Jaipur से संबद्ध जयपुरिया अस्पताल में स्वाईन फ्लू व VDRL Lab की स्थापना पर रुपये 1 करोड़ 50 लाख व्यय किया जाना प्रस्तावित करती हूं।

(86) SMS Hospital के विकास के लिए इस वर्ष हाल ही में विभिन्न

कार्यों पर लगभग रुपये 25 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं। SMS Hospital को Trauma Centre से जोड़ने के लिए बनाये जा रहे under pass से रोगियों को काफी सुविधा होगी। इस क्रम में SMS Hospital से संबद्ध चिकित्सालयों में बढ़ते रोगी भार को देखते हुए रुपये 6 करोड़ व्यय से एक नवीन कैथ लैब स्थापना की घोषणा करती हूं। साथ ही, दो नये examination hall का निर्माण रुपये 7 करोड़ 90 लाख की लागत से करवाया जाएगा।

(87) मेडिकल कालेज बीकानेर में बढ़ते रोगी भार को देखते हुए रुपये 6 करोड़ के व्यय से एक नवीन कैथ लैब स्थापना की घोषणा करती हूं।

(88) रुपये 6 करोड़ की लागत से मेडिकल कालेज, अजमेर में एक नवीन कैथ लैब की स्थापना की घोषणा करती हूं। साथ ही, cardiology विभाग में Angiojet Thrombectomy System की स्थापना पर रुपये 1 करोड़ 15 लाख खर्च किये जाएंगे। इसके अतिरिक्त, शिशु रोग विभाग में रुपये 1 करोड़ 20 लाख की लागत से 8 ventilators की स्थापना की जाएगी।

(89) जोधपुर मेडिकल कालेज में ambulance and equipments के लिए रुपये 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।

(90) मेडिकल कालेज, उदयपुर में Anesthesia विभाग हेतु स्वाइन फ्लू के रोगियों के लिए ICU Ventilator एवं Nephrology Department में 4 नवीन Dialysis Machines की स्थापना किये जाने की घोषणा करती हूं जिस पर रुपये 1 करोड़ 10 लाख का व्यय प्रस्तावित है।

(91) मेडिकल कालेज, झालावाड़ के ENT विभाग हेतु उपकरणों की खरीद करने एवं 7 नये Pediatric and Neonatal Ventilators की स्थापना की घोषणा करती हूं। इस पर रुपये 1 करोड़ 96 लाख का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

(92) मेडिकल कालेज, कोटा में Dual Imaging System, Blood Component Separation Unit, C-arm Machine उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा करती हूं, जिस पर रुपये 3 करोड़ 72 लाख का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

(93) प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्सा को प्रोत्साहन देने के लिए मैं मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय उदयपुर में निम्न पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की घोषणा करती हूं:-

- नर्सिंग कर्मियों की उपलब्धता हेतु 20 सीटों वाला बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम।
- आयुर्वेद की शल्यतंत्र चिकित्सा विधा के विस्तार हेतु 30 सीटों वाला एक वर्षीय PG diploma course in क्षार सूत्र।
- पंचकर्म चिकित्सा विधा को प्रोत्साहन के लिए 30 सीटों वाला एक वर्षीय पंचकर्म तकनीकी सहायक diploma course
- महाविद्यालय के 'रोग निदान' एवं 'प्रसूति-स्त्री रोग' विभागों की UG से PG में क्रमोन्नति।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले

(94) अन्नपूर्णा योजना में राज्य के सभी जिलों में 6 हजार 165 अन्नपूर्णा भंडारों के माध्यम से दैनिक उपयोग की 150 वस्तुयें competitive rates पर उपलब्ध करवायी जा रही है। योजना की लोकप्रियता को देखते हुए मैं आगामी वर्ष में 1 हजार नवीन अन्नपूर्णा भंडार उचित मूल्य दुकानों पर खोलने की घोषणा करती हूं।

(95) उचित मूल्य की दुकानें संचालित करने वाले राशन डीलर्स को गेहूं वितरण के लिए देय dealers commission को रुपये 70 से बढ़ाकर, POS मशीन पर प्रति क्विंटल देय रुपये 17 सहित रुपये 125 प्रति क्विंटल करने की घोषणा करती हूं।

(96) निम्न श्रेणियों को NFSA की समावेशन सूची में पात्र होने पर खाद्य सुरक्षा कवर में शामिल किया जाएगा:-

(1) निसंतान वृद्ध दंपति; (2) वृद्ध दंपति जिनके केवल दिव्यांग संतान है; (3) एड्स रोग से ग्रसित व्यक्ति एवं उनका परिवार; (4) सिलिकोसिस रोग से ग्रसित व्यक्ति एवं उनका परिवार; (5) बहुविकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति (21 श्रेणियां); (6) पालनहार योजना के लाभार्थी बच्चे व पालनहार परिवार; एवं (7) डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2015 के अंतर्गत पीड़ित महिलाएं।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

शिक्षा:

(97) हमारी सरकार ने पिछले 4 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में कई structural Improvements एवं innovations किये हैं। इस अवधि में ग्राम पंचायतों के 5 हजार 863 विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया है। राजकीय विद्यालयों में नामांकन में लगभग 12 लाख की वृद्धि हुयी है। पहले जहां केवल 48.9 प्रतिशत विद्यार्थी माध्यमिक से उच्च माध्यमिक कक्षाओं में प्रवेश करते थे, वहीं आज 74 प्रतिशत विद्यार्थी उच्च माध्यमिक कक्षाओं में प्रवेश ले रहे हैं।

(98) हमने वर्ष 2015-16 के बजट में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी। इसी क्रम में वर्ष 2017-18 में प्रथम चरण में 825 आदर्श विद्यालयों हेतु 2 हजार 475 additional class rooms के लिए रुपये 248 करोड़ 74 लाख की राशि उपलब्ध करवायी गयी है। वर्ष 2018-19 में द्वितीय चरण में 1 हजार 163 आदर्श विद्यालयों में 3 हजार 379 class rooms एवं toilets हेतु रुपये 360 करोड़ की राशि उपलब्ध करवायी जाएगी।

(99) आगामी वर्ष में विभिन्न श्रेणी के 1 हजार 832 विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जायेगा।

(100) Mid-day Meal योजना में पहली बार राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को सप्ताह में तीन बार दूध पोषाहार उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा करती हूं। इस योजना का संचालन प्राथमिकता से पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत महिला दुग्ध समितियों के माध्यम से किया जाएगा। योजना पर रुपये 250 करोड़ का व्यय प्रस्तावित है।

(101) मैं यहां माननीय सदन को अवगत कराना चाहूंगी कि हमारे द्वारा विगत चार वर्षों में विभिन्न संवर्गों के कुल 67 हजार 961 शिक्षकों एवं कार्मिकों को नियुक्तियां प्रदान की गयी हैं तथा 1 लाख 9 हजार 622 शिक्षकों एवं कार्मिकों को पदोन्नत किया गया है।

(102) आगामी वर्ष में 54 हजार तृतीय श्रेणी अध्यापक, 9 हजार द्वितीय श्रेणी अध्यापक, 5 हजार व्याख्याता, 4 हजार 500 शारीरिक

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-3,1 हजार 500 संस्कृत शिक्षा अध्यापक, 1 हजार 200 प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय, 1 हजार 200 प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-3 एवं 700 पुस्तकालय अध्यक्ष सहित कुल 77 हजार 100 रिक्त पदों पर भर्ती किये जाने की घोषणा करती हूं।

(103) प्रदेश में आगामी वर्ष में 18 उपखंड मुख्यालयों अटरू-बारां, शिव-चौहटन-बाड़मेर, बिच्छीवाड़ा-डूंगरपुर, रानीवाड़ा-जालौर, बावड़ी-लूणी-जोधपुर, कनवास-कोटा, रायपुर- पाली, मावली-उदयपुर, बसेड़ी-धौलपुर, बासकृपाल नगर (किशनगढ़बास)-अलवर, रेवदर- सिरोही, भादरा-हनुमानगढ़, कामां, नदबई, नगर-भरतपुर और डूंगरगढ़-बीकानेर में नये राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा करती हूं। इसके साथ ही, teaching faculty की कमी की तात्कालिक समस्या को दूर करने के लिए pay minus pension के आधार पर retired faculty की सेवाएं भी ली जा सकेंगी।

(104) कोटा मुख्यालय पर नवीन कृषि महाविद्यालय खोलना तथा अलवर जिले के नौगावां कृषि अनुसंधान केन्द्र के परिसर में कृषि महाविद्यालय खोलने की मैं घोषणा करती हूं।

(105) राजकीय कन्या महाविद्यालय चित्तौड़गढ़, रतनगढ़-चूरू, गुढ़ागौड़जी (उदयपुरवाटी) झुंझुनूं, औसियां-जोधपुर एवं शिवगंज-सिरोही के महाविद्यालयों को PG महाविद्यालयों में क्रमोन्नत करने की घोषणा करती हूं।

(106) हमने इस बजट में 17 उपखंडों में नवीन कालेज खोलने की जो घोषणा की है एवं साथ ही, नवीन कालेज भवन निर्माण को MLA LAD तहत अनुमन्त किया है। मुझे उम्मीद है कि इनके भवन निर्माण के लिए राज्य सरकार के साथ-साथ स्थानीय विधायक और दानदाता सामने आएंगे, जिससे कि ये कालेज जल्दी से जल्दी प्रारंभ हो सकें।

हमें हायर सैकण्डरी स्कूल्स में नहीं खोलना है जैसे पिछली साल खोला था। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहें।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री):

(107) राजकीय महाविद्यालयों में पांच वर्षों से अधिक की अवधि से

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

self financing scheme के तहत संचालित UG एवं PG कक्षाओं के कला, विज्ञान और वाणिज्य संकायों के 64 विषयों के पाठ्यक्रमों को state financing में परिवर्तित करने की घोषणा करती हूं। इस हेतु रुपये 11 करोड़ 41 लाख का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

(108) 50 राजकीय महाविद्यालयों में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा एवं Rajasthan ILD Skills University, Jaipur के माध्यम से उद्यमिता एवं कौशल विकास के पाठ्यक्रम प्रारंभ कर प्रतिवर्ष 12 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। इसके लिए रुपये 3 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

(109) राजकीय महाविद्यालय निम्बाहेड़ा-चित्तौड़गढ़ में विज्ञान विषय, तारानगर-चूरू में इतिहास व समाज शास्त्र विषय एवं टोडारायसिंह-टोंक में कला संकाय के नये विषय खोलने की घोषणा करती हूं।

(110) अच्छे एवं गुणवत्तापूर्ण fabrication हेतु सुन्दर design, अभिनव सोच का अपना महत्व है। ऐसी ही किसी सोच को मूर्त रूप देने के लिए मैं जोधपुर, बीकानेर और झालावाड़ में कुल 6 करोड़ रुपये की लागत से 3 फेब लैब (Feb Lab) की स्थापना की घोषणा करती हूं। इनकी स्थापना से product prototyping, worker learning तथा product development को प्रोत्साहन मिलेगा।

(111) मैं UPSC, RPSC एवं Rajasthan Subordinate and Ministerial Services Selection Board द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के साक्षात्कार में उपस्थिति हेतु प्रत्याशियों को RSRTC की बस में नि:शुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने की घोषणा करती हूं।

(112) आगामी वर्ष में समस्त राजकीय महाविद्यालयों में नि:शुल्क wi-fi सुविधा उपलब्ध करवाने की घोषणा करती हूं।

(113) मदरसों के आधुनीकरण के लिए मैं, आदर्श मदरसा योजना की घोषणा करती हूं। इसके तहत पंजीकृत 'ए' श्रेणी के 500 मदरसों का चयन कर मदरसों के आधुनिकीकरण पर रुपये 25 करोड़ 18 लाख खर्च किये जाएंगे।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

कौशल, रोजगार एवं युवा:

(114) नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाभ जनजाति उप योजना क्षेत्र के युवाओं को देने के लिए मैं 'कौशल प्रशिक्षण योजना' की घोषणा करती हूं। इसके तहत Entrepreneurship Development के उद्देश्य से उद्यमिता प्रोत्साहन की योजनाओं एवं कार्यक्रमों का convergence कर रुपये 15 करोड़ खर्च किया जाना प्रस्तावित है।

(115) प्रदेश में प्रथम चरण के तहत जयपुर, कोटा, भरतपुर और बीकानेर रोजगार कार्यालयों का Model Career Centre के रूप में चयन किया गया था, जिनका कार्य इस वर्ष पूरा कराया जाएगा। शेष रहे 29 जिलों के रोजगार कार्यालयों को Model Career Centre के रूप में परिवर्तित करने के लिए रुपये 45 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

(116) महिला सशक्तीकरण की दिशा में पहल करते हुए 24 राजकीय ITI में महिला विंग खोलकर 4 हजार महिलाओं को 12 व्यवसायों में तकनीकी प्रशिक्षण हेतु रुपये 23 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

(117) पढ़े-लिखे बेरोजगार युवकों को कौशल प्रशिक्षण के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए प्रदेश के राजकीय ITI में संचालित Self Financing Units को नियमित प्रशिक्षण योजना में परिवर्तित कर 22 हजार 500 सीट create की जाएगी। इस पर रुपये 28 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही, प्रदेश में 8 नयी ITIs खोली जाएंगी।

(118) सभी जिला मुख्यालयों पर स्थित राजकीय ITI, आयुक्तालय जयपुर एवं निदेशालय जोधपुर में रुपये 22 करोड़ की लागत से Internet आधारित Smart Class Room स्थापित कर इन्हें Digital ITI के रूप में विकसित किया जाएगा। इस सुविधा से छात्रों को any where, any time, any device learning का लाभ मिलेगा। साथ ही, मैं राजकीय ITI को Digital India से जोड़ते हुए परंपरागत परीक्षा प्रणाली के स्थान पर online परीक्षा आयोजित करने की घोषणा करती हूं।

(119) भारत Under-19 Cricket World Cup-2018 का विजेता रहा है। मुझे ही नहीं, पूरे प्रदेश को युवा तेज गेंदबाज श्री कमलेश नागरकोटी की

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

इस जीत में अहम भूमिका पर गर्व है। इस Youth Icon के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर हम सब की ओर से बधाई देते हुए मैं श्री नागरकोटी को रुपये 25 लाख दिये जाने की घोषणा करती हूं। साथ ही, राज्य के प्रतिभावान युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए Youth Icon Scheme की घोषणा करती हूं।

(120) झुंझुनूं में राज्य क्रीड़ा संस्थान की स्थापना से खेल प्रशिक्षण, खेल विज्ञान संबंधी पाठ्यक्रम, प्रशिक्षकों हेतु कोर्स, प्रशिक्षण शिविर, प्रतिभा खोज एवं विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। राज्य क्रीड़ा संस्थान में समस्त outdoor व indoor आधारभूत खेल सुविधाओं के विकास पर चरणबद्ध रूप से रुपये 31 करोड़ का व्यय किया जाएगा।

(121) जगतपुरा, जयपुर स्थित शूटिंग रेंज को अन्तरराष्ट्रीय स्तर का बनाये जाने के लिए electronic targets क्रय करने करने के लिए राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा रुपये 5 करोड़ खर्च किये जाएंगे।

(122) सवाईमानसिंह स्टेडियम जयपुर के लिए वर्ष 2016-17 की बजट घोषणा में 10 करोड़ रुपये की लागत से खेल-भवन के निर्माण की घोषणा की गयी थी। इस निर्माणाधीन खेल-भवन की साज-सज्जा (furnishing) हेतु बजट में 3 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। SMS indoor stadium के upgradation के लिए रुपये 2 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। SMS Swimming Pool को Olympic Size Pool बनाये जाने के लिए रुपये 1 करोड़ 50 लाख उपलब्ध करवाये जाएंगे।

(123) रतनगढ़-चूरू में indoor stadium एवं राजकीय गजानन्द मोदी उच्च माध्यमिक विद्यालय, नीमकाथाना-सीकर में stadium बनवाना प्रस्तावित है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग कल्याण में अध्यक्ष महोदय, हम अपने अलावा किसी से प्रतिस्पर्धा में नहीं हैं। हमने खुशहाल राजस्थान की दिशा में निरन्तर कार्य किया है और करते रहेंगे। आपकी अनुमति से मैं दो पंक्तियां सदन में प्रस्तुत करना चाहती हूं -

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

'मैं किसी से बेहतर करूं, क्या फर्क पड़ता है!

मैं किसी का बेहतर करूं, बहुत फर्क पड़ता है।,'

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग कल्याण:

(124) 'राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम' द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु वर्ष 1980-81 से ऋण दिया जा रहा है। मैं ऐसे ऋणियों के रुपये 2 लाख तक के बकाया ऋण एवं ब्याज को माफ किये जाने की घोषणा करती हूं। इससे राज्य सरकार पर रुपये 114 करोड़ का भार आएगा।

(125) इसके साथ-साथ लगभग रुपये 80 करोड़ की लागत से प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र में एक-एक अंबेडकर भवन बनाये जाने की घोषणा करती हूं।

(126) राज्य सरकार छोटे कामगारों जैसे कि केश कलाकार, कुम्हार, मोची, बढ़ई, रिक्शावाला और plumbers आदि के कौशल उन्नयन एवं क्षमता वर्धन के लिए राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा रुपये 2 लाख का ब्याज मुक्त ऋण दिये जाने की घोषणा करती हूं। इस योजना में ब्याज अनुदान के लिये रुपये 10 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

(127) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं अति पिछडा वर्ग के परिवारों को जीविकोपार्जन का साधन उपलब्ध करवाने के लिये मैं हमारे कद्दावर नेता एवं प्रेरणापुंज श्री भैरोंसिंह शेखावत जी की स्मृति में 'भैरोंसिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना' लागू करने की घोषणा करती हूं। इस योजना में आगामी वर्ष में 50 हजार परिवारों को रुपये 50 हजार तक का ऋण 4 प्रतिशत ब्याज पर बिना रहन उपलब्ध करवाया जाएगा।

(128) मैं जनजाति उप योजना क्षेत्र के ऐसे 1 लाख 70 हजार 660 किसान, जिनके घरों पर विद्युत कनेक्शन नहीं हैं, उन्हें सोलर लैंप दिये जाने की घोषणा करती हूं।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

(129) जनजाति उप योजना क्षेत्र में जो विशेष सुविधाएं सहरिया एवं कथोड़ी जाति के परिवारों को उपलब्ध हैं, वही सुविधाएं अब खैरवा जाति के परिवारों को भी उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा करती हूं।

(130) जनजाति उप योजना क्षेत्र के 5 जिलों उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाडा, प्रतापगढ, सिरोही तथा बारां जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसीलों के जनजाति, गैर-जनजाति बीपीएल एवं अन्त्योदय परिवार के किसानों को खरीफ 2018 में मक्का की अधिसूचित संकर किस्मों के 8 लाख बीज मिनिकिट्स का निशुल्क वितरण किया जाएगा, जिस पर आगामी वर्ष में रुपये 14 करोड़ का व्यय प्रस्तावित है।

(131) हमारी सरकार ने जनजाति क्षेत्र में 520 नवीन मां-बाड़ी केन्द्र शुरू कर 15 हजार 600 बालक-बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ा है तथा 1 हजार 339 मां-बाड़ी/डे-केयर सेंटर्स पर गैस कनेक्शन प्रदान किये हैं। मां-बाड़ी केन्द्रों की सफलता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार 1 हजार नवीन मां-बाड़ी केन्द्र मय गैस कनेक्शन प्रारंभ करने की घोषणा करती है। इन नवीन केन्द्रों पर प्रतिवर्ष रुपये 36 करोड़ व्यय कर 30 हजार बच्चों को लाभान्वित किया जाएगा।

(132) देवनारायण योजना में भर्तृहरि-अलवर एवं आननपुरा-करौली में 2 आवासीय विद्यालयों सहित 10 नवीन आवासीय विद्यालयों का तथा गुढ़ामालानी-बाड़मेर में एक छात्रावास का निर्माण करवाये जाने की घोषणा करती हूं।

(133) राज्य में आर्थिक पिछडा वर्ग के कल्याण हेतु मैं निम्न घोषणाएं करती हूं:-

- आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य श्रेणी के परिवारों को जीविकोपार्जन का साधन उपलब्ध करवाने के लिये मैं हमारे लोकप्रिय नेता श्री सुंदर सिंह भण्डारी की याद में 'सुंदर सिंह भण्डारी EBC स्वरोजगार योजना' लागू करने की घोषणा करती हूं। इस योजना में आगामी वर्ष में 50 हजार परिवारों को रुपये 50 हजार तक का ऋण 4 प्रतिशत ब्याज पर बिना रहन उपलब्ध करवाया जाएगा।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

- राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित परिणाम के तहत दसवीं की परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक अंक आये हों, ऐसी कुल 200 छात्राओं को और 12वीं की ऐसी छात्राएं, जिनके राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की विज्ञान, कला, वाणिज्य परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक अंक आए हो, को वरीयता क्रमानुसार प्रत्येक संवर्ग की 200-200 छात्राओं (कुल 600) को स्कूटी दी जाएगी।
- राज्य सरकार द्वारा संचालित अनुप्रति योजना का लाभ अब आर्थिक पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को अंतिम परीक्षा में 85 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर देय होगा।
- आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु प्री-मैट्रिक एवं उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना पर रुपये 273 करोड़ 50 लाख का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

सामाजिक सुरक्षा:

(134) भामाशाह योजना के माध्यम से हमने महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। अब मैं भामाशाह कार्डधारक NFSA परिवारों के सभी सदस्यों का रुपये 1 लाख तक का दुर्घटना बीमा करते हुए भामाशाह सुरक्षा कवच प्रदान करने की घोषणा करती हूं। इस योजना से लगभग 4 करोड़ 50 लाख लोगों को फायदा मिलेगा।

(135) दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु एक आकस्मिक निधि के रूप में 'दिव्यांग कोष' के गठन की घोषणा करती हूं। इस निधि से प्रदेश के दिव्यांगजन एवं दिव्यांगों के कल्याण से जुड़ी सरकारी संस्थाओं जैसे विमंदित पुनर्वास गृह को सहायता उपलब्ध करवाने हेतु रुपये 1 करोड़ का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, मैं adult होने पर सरकारी अनाथालय को छोडकर, समाज की मुख्य धारा में प्रवेश करने वाले युवक-युवती को स्वरोजगार हेतु रुपये एक लाख का अनुदान दिये जाने की घोषणा करती हूं।

(136) प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रही छात्राओं के लिए डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा में 100 छात्राओं की क्षमता के एक-एक बहुद्देशीय छात्रावास की स्थापना पर रुपये 12 करोड़ का व्यय प्रस्तावित है।

(137) गोबिन्द गुरु जनजाति विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा में अध्ययनरत

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

जनजाति छात्र-छात्राओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु पृथक-पृथक दो छात्रावासों का निर्माण करवाया जाएगा। इस पर लगभग रुपये 8 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

(138) जनजाति क्षेत्र में संचालित 5 खेल छात्रावासों को रुपये 5 करोड़ का व्यय कर sports academy के रूप में upgrade कर एक खेल विशेष के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार किया जाएगा।

(139) जनजाति क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के विकास हेतु 12 एनिकटों- माण्डवा खापरड़ा, पंचकुंडी, जाफरा-डूंगरपुर, कुंडला, महुडीवाड़ा, सरवटवाला नाला, उमरीवाला नाला और चिरोवाली-बांसवाड़ा, धोलीगार, चूलीकानाका और आकोलाकानाका- उदयपुर, मोटा धामनिया-प्रतापगढ़ का निर्माण एवं जीर्णोद्धार तथा 6 नहरों- मेवाड़ा लघु सिंचाई परियोजना का विस्तार एवं जीर्णोद्धार किये जाने की घोषणा करती हूं। इस योजना से 2 हजार किसानों की 1 हजार 200 हैक्टेयर भूमि सिंचित होगी। इन निर्माण कार्यों पर लगभग रुपये 20 करोड़ का व्यय होगा।

(140) जनजाति क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं के विकास हेतु 25 नवीन सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाओं की क्रियान्विति सौर ऊर्जा के माध्यम से किये जाने की घोषणा करती हूं। इस पर रुपये 7 करोड़ 50 लाख की लागत आएगी।

कर्मचारी कल्याण:

(141) महिला कर्मचारियों की लंबे समय से child care leave दिये जाने की मांग रही है। मैं महिला कर्मचारियों को पूरी सेवा अवधि में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल हेतु अधिकतम 2 वर्ष की child care leave का प्रावधान किये जाने की घोषणा करती हूं।

(142) 1 अप्रैल 2018 से सातवें वेतन आयोग की लागू सिफारिशों के तहत दिये जाने वाले arrear की राशि का भुगतान प्रारंभ किया जाएगा।

(143) राजकीय भर्तियों में आने वाली रुकावटों को दूर कर समयबद्ध तरीके से भर्तियां पूरी करने के लिये हम commited हैं। शिक्षा विभाग में 77 हजार 100, गृह विभाग में 5 हजार 718, प्रशासनिक सुधार विभाग में

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

11 हजार 930 एवं स्वास्थ्य विभाग में 6 हजार 571 पदों सहित कुल 1 लाख 8 हजार पदों के लिये दिसंबर 2018 के पहले भर्तियां की जाएंगी। साथ ही, आगामी वर्ष में 75 हजार पदों के लिये नयी विज्ञप्तियां जारी की जाएंगी।

(144) राज्य सेवा में बतौर पारिवारिक पेंशनर विधवा महिला की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति पर उसे पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत (Dearness Relief) देय होगी।

(145) शासन सचिवालय भवन के मूल स्वरूप को यथावत रखते हुए Indian council of Green Building द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप इसे Green Building बनाने हेतु रुपये 5 करोड़ का व्यय प्रस्तावित है।

(146) तहसील मुख्यालय पीपाड़ शहर-जोधपुर में नवीन स्वतंत्र उपकोष कार्यालय स्थापित किये जाने की घोषणा करती हूं। साथ ही, पेंशनरों की सुविधा के लिये नवीन उपकोष (पेंशन), जयपुर के गठन की भी घोषणा करती हूं।

(147) स्पिनफैड की बन्द हुई इकाइयों के कर्मचारी एवं श्रमिकों के कल्याण हेतु संचालित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना में शेष रहे 950 श्रमिकों एवं 71 कर्मचारियों हेतु रुपये 25 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

उद्योग:

(148) हमने निवेश के लिए राज्य को Investor friendly destination बनाते हुये ease of doing business पर व्यापक कार्य किया है। विश्व बैंक एवं भारत सरकार के business reform action plan में वर्ष 2015 में राजस्थान देश में 'aspiring leader' एवं वर्ष 2016 में और अच्छा कार्य करते हुये 'leader' श्रेणी में रहा। राज्य में One Stop Clearance System के माध्यम से उद्यम स्थापना एवं संचालन को आसान बनाते हुये, 15 विभागों की 87 सेवाएं Single Window Portal पर उपलब्ध करवायी जा रही हैं।

(149) भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषित पानी के treatment एवं re-use के लिये 6 MLD RO Plant का scope और व्यापक करते हुये रुपये

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

146 करोड़ की एकीकृत कार्य योजना के तहत भूमिगत pipeline सहित Common Effluent Treatment Plant (CETP) के upgradation के कार्य किये जाएंगे, जिससे जल प्रदूषण की समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा।

(150) दिल्ली-मुंबई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना निवेश क्षेत्र में नयी industrial township के लिये अधिग्रहित की गयी भूमि का मुआवजा देने के लिये रुपये 400 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

(151) प्रदेश में रोजगार एवं स्वरोजगार सृजन के उद्देश्य से पिछले 4 सालों में रुपये 192 करोड़ 63 लाख की margin money subsidy के रूप में वितरित कर 7 हजार 262 व्यक्तियों को लाभ दिया गया। पिछले तीन सालों में भामाशाह रोजगार सृजन योजन के अंतर्गत 19 हजार 112 व्यक्तियों को ऋण वितरित किया गया।

खनन:

(152) राज्य के बाड़मेर-सांचौर बेसिन में वर्ष 2004 में खनिज तेल की खोज के उपरांत 11 क्षेत्रों में लगभग 1 लाख 60 हजार बैरल खनिज तेल का उत्पादन प्रतिदिन किया जा रहा है। अब तक इस बेसिन में रुपये 43 हजार करोड़ का निवेश कर राज्य को लगभग रुपये 30 हजार करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। आगामी वर्षों में रुपये 12 हजार 500 करोड़ के निवेश से खनिज तेल का उत्पादन 2 लाख बैरल प्रतिदिन किये जाने की योजना है।

(153) जैसलमेर बेसिन में 23 लाख घन मीटर गैस का उत्पादन प्रतिदिन किया जाकर 270 मेगावाट बिजली बनायी जा रही है। इस बेसिन में 30 लाख घनमीटर गैस की अतिरिक्त उपलब्धता के समुचित उपयोग हेतु feasibility study के बाद आगामी वर्षों में 150 कुएं खोदे जाने की योजना है।

(154) राज्य सरकार के प्रयासों से पैट्रोलियम मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्य के 7 ब्लॉक बाड़मेर-सांचौर बेसिन में तथा 2 ब्लॉक जैसलमेर बेसिन में चयनित किये हैं। ये ब्लॉक्स नयी Hydrocarbon Exploration Licensing

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

Policy के अंतर्गत आवंटन हेतु प्रक्रियाधीन हैं।

(155) Major Minerals लाइम स्टोन, बेस मैटल एवं पोटाश इत्यादि के भंडारों की खोज को गति प्रदान करने के लिये कुल 24 परियोजनाओं में लगभग 20 हजार मीटर drilling पर गहराई पर पाये जाने वाले खनिज भंडारों के आकलन के बाद ई-नीलामी से खनिज राजस्व में बढ़ोतरी की जाएगी।

(156) राज्य के खनन प्रभावित क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिये आगामी वर्ष में District Mineral Foundation Trust द्वारा रुपये 1 हजार करोड़ खर्च कर सड़कों का निर्माण, पेयजल सुविधा विस्तार, विद्यालयों में कक्षों का निर्माण, स्वास्थ्य सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण एवं पर्यावरण सुधार संबंधी कार्य करवाये जाएंगे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज:

(157) प्रदेश में पहली बार केवल पंचायत राज से संबंधित गतिविधियों के त्वरित निस्तारण के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनकल्याण पंचायत शिविरों का आयोजन किया गया। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ग्रामीणों को उनके घरों के पट्टे उपलब्ध करवाने के लिये पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण पट्टा वितरण अभियान का आयोजन किया गया जिसमें वर्ष 2017-18 में अनुसूचित जाति के 1 लाख 76 हजार, अनुसूचित जनजाति के 83 हजार 600 व्यक्तियों तथा 1 लाख 25 हजार महिलाओं सहित कुल लगभग 8 लाख 50 हजार पट्टे वितरित किये गये।

(158) 'स्वच्छ राजस्थान' के लिये हमारी सरकार संकल्पित है। मेरे द्वारा वर्ष 2014 के बजट सत्र के दौरान मार्च 2018 तक प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त अर्थातOpen Defecation Free (ODF) करने की घोषणा की गयी थी। मुझे सदन को अवगत कराते हुये खुशी हो रही है कि कुल 9 हजार 891 ग्राम पंचायतों में से 9 हजार 127 ग्राम पंचायतें ODF घोषित हो चुकी हैं। राज्य के 6 जिले बीकानेर, अजमेर, चूरू, पाली, झुंझुनूं व चित्तौड़गढ़ ODF घोषित हो चुके हैं एवं 18 जिलों में शौचालय निर्माण शत-प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

(159) पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन के लिये संचालित 'पश्चिमी राजस्थान गरीबी शमन परियोजना (MPOWER)' की सफलता को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईफैड) ने 14 नये विकास खण्डों में इसका द्वितीय चरण प्रारंभ करने हेतु रुपये 300 करोड़ का ऋण प्रदान करने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है। कुल रुपये 781 करोड़ की इस योजना के लिये अब केंद्र सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा।

शहरी विकास:

(160) हमने वर्ष 2017-18 में समस्त नगरपालिका क्षेत्रों में सड़कों एवं नालियों की maintenance एवं renewal के लिये रुपये 1 हजार करोड़ का प्रावधान रखा। इस क्रम को आगे जारी रखते हुए मैं, वर्ष 2018-19 में भी समस्त नगरपालिका क्षेत्रों में सड़कों-नालियों की maintenance एवं renewal सहित अंबेडकर भवनों के निर्माण, बरसाती पानी के निकास की व्यवस्था, श्मशान एवं कब्रिस्तान के विकास तथा सार्वजनिक शौचालयों के लिए रुपये 1 हजार करोड़ के प्रावधान की घोषणा करती हूं। इस प्रकार से पहली बार छोटे से लेकर बड़ी नगरपालिकाओं के सड़कों एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु रुपये 2 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है।

(161) राज्य के शहरी क्षेत्र के नागरिकों को रियायती दर पर गुणवत्तायुक्त पौष्टिक नाश्ता एवं भोजन उपलब्ध करवाने के लिये संचालित 'अन्नपूर्णा रसोई योजना' को आम लोगों ने काफी सराहा है। इस योजना हेतु आगामी वर्ष में रुपये 340 करोड़ का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। भोजन उपलब्ध करवाने वाली समस्त 500 vans मार्च, 2018 तक क्रियाशील हो जाएंगी।

(162) आमजन की सुविधा हेतु मैं अन्नपूर्णा रसोई योजना का विस्तार करते हुए प्रत्येक जिला कलक्टर कार्यालय परिसर में ऐसी सुविधा उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा करती हूं। इन परिसरों में सस्ती दरों पर नाश्ता एवं भोजन उपलब्ध करवाने के साथ ही चाय एवं शुद्ध पेयजल भी उपलब्ध करवाया जाएगा।

(163) मैं जयपुर शहर में बढ़ते प्रदूषण कम करने के लिये रुपये 72

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

करोड़ की लागत से JCTCL द्वारा 40 नई इलैक्ट्रिक बसें चलाये जाने की घोषणा करती हूं।

(164) हमारी पूर्व की घोषणा के क्रम में राज्य के सभी नगरीय निकायों में fire brigade सेवा को सुदृढ़ करने के लिये 91 स्थानों पर fire station बनाये जाने थे। इनमें से 58 स्थानों पर निर्माण कार्य पूरा हो चुका है एवं शेष 33 स्थानों पर भी आगामी 3 माह में पूर्ण कर लिया जायेगा। साथ ही, 49 बड़े fire tenders शीघ्र ही उपलब्ध करवा दिये जाएंगे।

(165) चूरू शहर में जौहरी सागर में drainage, बरसात के पानी की निकासी एवं सौंदर्यकरण हेतु रुपये 5 करोड़ के कार्य करवाये जाएंगे।

(166) आम जनता एवं पर्यटकों को विश्वस्तरीय स्मार्ट सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट में स्मार्ट कारिडोर को विकसित करने की घोषणा करती हूँ। इस 30 किलोमीटर लंबाई के कारिडोर में wi-fi, surveillance camera, sensors इत्यादि की सुविधाओं पर रुपये 50 करोड़ का व्यय किया जाएगा।

(167) कोटा शहर में aerodrome circle पर ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान हेतु flyover के निर्माण पर रुपये 150 करोड़ का व्यय प्रस्तावित है।

(168) अभी तक मुख्य मंत्री जन-आवास योजना के अंतर्गत कुल 67 हजार EWS एवं LIG के आवास निर्मित हो चुके हैं एवं 4 हजार 268 निर्माणाधीन हैं। इसी कड़ी में आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के लोगों के लिये बीकानेर में रुपये 110 करोड़ की लागत से 2 हजार 500 EWS एवं LIG के फ्लेट्स उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है।

(169) राजस्थान आवासन मंडल द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर आयवर्ग एवं अल्प आयवर्ग सहित 'सबके लिए आवास योजना-2022' के तहत जन सहभागिता के माध्यम से प्रदेश भर में लगभग 16 हजार आवासों का निर्माण किया जाएगा।

(170) अजमेर पुष्कर के बीच आवागमन की सुविधा एवं दुर्घटनाओं से बचाव हेतु वैकल्पिक tunnel का निर्माण रुपये 55 करोड़ की लागत से नौसर

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)
घाटी पर करवाया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, रुपये 25 करोड़ की लागत से अजमेर में महर्षि दयानन्द सरस्वती स्मारक एवं संग्रहालय का निर्माण करवाया जाएगा।

(171) जैसलमेर जिले के राजस्व ग्राम किशन घाट, अमरसागर, जैसलमेर एवं साड़िया तथा दरबारीका में 4 नयी आवासीय योजनाओं के विकास पर रुपये 51 करोड़ का व्यय प्रस्तावित है।

राजस्व एवं सैनिक कल्याण:

(172) कृषि भूमि के सीमाज्ञान एवं माप के मामलों में जरीब से हुई पैमाइश से अधिकतर किसान संतुष्ट नहीं होते हैं। इसके समाधान के लिये 50 मॉडल तहसीलों में आधुनिक तकनीक वाली एक-एक Electronic Total Station/Differential Global Positioning System आधारित मशीनें उपलब्ध करवाने की घोषणा करती हूं।

(173) मैं आगामी वर्ष में 2 हजार पटवारियों की भर्ती करने की घोषणा करती हूं।

(174) राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिये अर्थूना-बांसवाड़ा, कानोड़-उदयपुर तथा रायपुर-झालावाड़ में नये तहसील कार्यालय खोलने, उप तहसील डग-झालावाड़ तथा पावटा-जयपुर को तहसील में क्रमोन्नत करने तथा कुड़ी भक्तासनी-जोधपुर एवं खेजरोली-जयपुर में नयी उप तहसील खोलने की घोषणा करती हूं।

(175) वर्तमान में शहीद सैनिकों के आश्रितों को नकद राशि रुपये 20 लाख देने का प्रावधान है जिसे बढ़ाकर, मैं रुपये 25 लाख करने की घोषणा करती हूं।

(176) राज्य में जिन जिला मुख्यालयों पर वर्तमान में शहीद स्मारक नहीं बने हुए हैं उन सभी जिला मुख्यालयों पर मैं प्रत्येक के लिये रुपये 20 लाख की लागत से शहीद स्मारक बनाने की घोषणा करती हूं।

गृह:

(177) 80 हजार पुलिसकर्मियों को देय मासिक मैस भत्ता बढ़ाते हुए कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल का रुपये 1 हजार 600 से बढ़ाकर रुपये 2 हजार

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

प्रतिमाह तथा सहायक उप निरीक्षक, उप निरीक्षक, निरीक्षक का रुपये 1 हजार 750 से बढ़ाकर रुपये 2 हजार करने की घोषणा करती हूं।

(178) पुलिस फोर्स को अच्छे वाहन उपलब्ध करवाने केलिए चरणबद्ध रूप से नाकारा वाहनों का replacement किया जाएगा। इस हेतु आगामी वर्ष में 210 नये वाहनों की खरीद के लिए रुपये 7 करोड़ 10 लाख का व्यय प्रस्तावित है।

(179) मैंने बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर नयी मेवाड़ भील कोर बटालियन स्थापित करने की घोषणा की थी। इसके लिये 1 हजार 161 कांस्टेबल्स की भर्ती की जाएगी। इस बटालियन की स्थापना पर रुपये 110 करोड़ 73 लाख का व्यय प्रस्तावित है।

(180) पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण के लिए प्रशासनिक एवं आवासीय भवनों के निर्माण पर समग्र रूप से रुपये 164 करोड़ व्यय किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें 43 नवीन थाना भवन, सातवीं बटालियन RAC भरतपुर में कमांडेंट/डिप्टी कमांडेंट निवासी एवं lower subordinate quarter, पुलिस थाना आबू पर्वत-सिरोही में आवासीय क्वाटर्स इत्यादि के कार्य शामिल है।

(181) पुलिस फोर्स के आधुनिकीकरण हेतु जयपुर में 'The Sardar Patel Global Centre for Security, Counter Terrorism and Anti insurgency' की स्थापना केन्द्र सरकार के सहयोग से की जाएगी। इस पर रुपये 91 करोड़ 66 लाख का व्यय प्रस्तावित है।

विधि एवं न्याय:

(182) अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण की दृष्टि से विगत 4 वर्षों में हमने 18 अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय, 8 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, 2 विशिष्ट न्यायालय (महिला उत्पीड़न प्रकरण), एक विशेष न्यायालय (POSCO Act), 10 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, 25 विशिष्ट न्यायालय (N.I. Act प्रकरण), 11 पारिवारिक न्यायालय एवं एक वाणिज्यिक न्यायालय स्थापित किये गये हैं तथा 19 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय क्रमोन्नत किये गये हैं।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

(183) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर में रुपये 10 करोड़ 81 लाख की लागत से Alternate Dispute Resolution (ADR) सेंटर का नवीन भवन बनाया जाएगा।

(184) वर्ष 2018-19 में 35 नवीन न्यायालय खोले जाएंगे। जो निम्नानुसार हैं:-

- 2 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण : भीलवाड़ा एवं बूंदी।
- 9 अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय: केकड़ी, किशनगढ़-अजमेर, बीकानेर, राजगढ़-चूरू, बांदीकुई-दौसा घड़साना-श्रीगंगानगर, सांभरलेक, कोटपूतली-जयपुर एवं परबतसर-नागौर।
- 11 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट: बहरोड़-अलवर, गुड़ामालानी-बाड़मेर, कामां, नगर-भरतपुर, सरदार शहर-चूरू, जयपुर मैट्रो 2, किशनगढ़ रेनवाल-जयपुर, पिलानी-झुंझुनूं एवं फलौदी, पीपाड़-जोधपुर।
- 7 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट: सूरतगढ़-श्रीगंगानगर, जयपुर मैट्रो 2, फलौदी-जोधपुर, बाड़मेर, गुढ़ामालानी-बाड़मेर एवं नीमकाथाना-सीकर।
- 6 विशिष्ट न्यायालय (N.I.Act प्रकरण): भीलवाड़ा, जयपुर मैट्रो 3, जोधपुर मैट्रो एवं उदयपुर।

पर्यटन, कला एवं संस्कृति:

(185) हमारी सरकार ने सफेद महल, वैर किला, डीग किला, गढ़ पैलेस, गागरोन दुर्ग, सांभर स्थित ऐतिहासिक स्थलों, पटवों की हवेली और अनेक स्मारकों व पर्यटन स्थलों के conservation और restoration के कार्य करवाये हैं। इसी कड़ी में आगामी साल में कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, झालावाड़, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, चूरू, बीकानेर, बारां, उदयपुर एवं भरतपुर में स्थित 19 स्मारकों के संरक्षण एवं पुनरुद्धार कार्यों पर रुपये 33 करोड़ 25 लाख का व्यय प्रस्तावित है।

(186) राज्य में हमने कृष्णा सर्किट, हैरिटेज सर्किट एवं आध्यात्मिक सर्किट जैसे प्रोजेक्ट्स के माध्यम से रुपये 400 करोड़ की लागत से पर्यटन स्थलों का विकास किया। इसी कड़ी में, मैं आमेर, जयपुर को Iconic

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

Tourism Destination के रूप में शामिल करवाते हुए, रुपये 20 करोड़ का व्यय कर विकसित किये जाने की घोषणा करती हूं।

(187) बांसवाड़ा क्षेत्र को प्रकृति ने पर्याप्त natural beauty प्रदान की है। इस क्षेत्र को पर्यटन मानचित्र पर उचित स्थान दिलाने के लिए माही बांध परिक्षेत्र में रुपये 10 करोड़ की लागत से 100 islands क्षेत्र का विकास किया जाएगा।

(188) रणथम्भौर टाइगर रिजर्व में नवाचार कर उसे देश का महत्वपूर्ण Wild Life Tourism केन्द्र बनाया गया, जिससे रुपये 23 करोड़ की आय होना अपने आपमें एक कीर्तिमान है।

(189) बूंदी में नये museum की स्थापना सहित प्रदेश के सभी 20 museums का जीर्णोद्धार कर उनमें से 6 का लोकार्पण किया जा चुका है एवं शेष को 15 अगस्त 2018 तक लोकार्पित किया जाएगा।

(190) राज्य में स्थित राष्ट्रीय राजमार्गों जैसे जयपुर-दिल्ली, जयपुर आगरा, जयपुर-जोधपुर आदि पर रुपये 3 करोड़ की लागत से पर्यटकों की सुविधार्थ अंतरराष्ट्रीय मानकों के शौचालय बनाए जाएंगे।

(191) राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों का विकास करने के लिए रुपये 2 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

(192) जन भावनाओं के अनुरूप हमारी सरकार ने 125 से अधिक मंदिरों एवं तीर्थस्थलों के विकास पर रुपये 550 करोड़ के कार्य प्रारंभ करवाये। सरकार ने विभिन्न प्रमुख चयनित तीर्थस्थलों के मास्टर प्लान तैयार कर, उनको प्रमुख सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए रुपये 165 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ किये हैं।

(193) गत वर्षों में प्रारंभ किये गये मंदिर व धार्मिक स्थलों के कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करवाते हुए वर्ष 2018-19 में विजवा माता मंदिर, डूंगरपुर, लोहार्गल तीर्थ, झुंझुनूं और मुरली मनोहर मंदिर तथा रघुनाथ मंदिर रतनगढ़, चूरू के विकास हेतु रुपये 10 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

(194) हमारी सरकार ने रुपये 95 करोड़ की लागत से राजस्थान के

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

लोक देवताओं, महापुरुषों एवं संतों के 30 पैनोरमाओं के निर्माण का कार्य पिछले 4 वर्षों में प्रारंभ किया है। इसी कड़ी में, मैं 6 नये पैनोरमा के कार्य- अलवर में राज भर्तृहरि, भीलवाड़ा में मालासेरी में भगवान देवनारायण, राजसमंद में महाराणा कुंभा माल्यावास मंदारिया, सीकर में भक्त शिरोमणी करमेती बाई खण्डेला, अजमेर में श्री सैन महाराज, पुष्कर एवं चित्तौड़गढ़ में भगवान श्री परशुराम, मातृकुण्डिया प्रारंभ किये जाने की घोषणा करती हूं। इसके लिए इस वर्ष रुपये 10 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

(195) जनजाति स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, मानगढ़ धाम के प्रथम चरण को आगे बढ़ाते हुए इसे पूरा करने के लिए इस वर्ष रुपये 7 करोड़ की स्वीकृति की घोषणा करती हूं।

(196) लंबे समय से मंदिर माफी से जुड़े हुए विभिन्न विषयों एवं समस्याओं के समाधान हेतु एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किये जाने की घोषणा करती हूं।

वन एवं पर्यावरण:

(197) जल संरक्षण एवं वृक्षारोपण हेतु Project for Development of Water Catchment through Greening of Rajasthan की घोषणा करती हूं। राज्य के 17 जिलों में रुपये 151 करोड़ की लागत से 22 हजार 700 हैक्टेयर भूमि में जल संरक्षण एवं वन विकास कार्य करवाये जाएंगे।

(198) किसानों की आमदनी को दुगुना करने की दिशा में उठाये गये विभिन्न कदमों के तहत हमारी सरकार ने 33 वृक्ष प्रजातियों और 26 प्रकार की लघु वन उपज को transit pass की अनिवार्यता से मुक्त किया। इसके साथ ही आदिवासियों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाने के लिए उदयपुर में लघु वन उपज मंडी की स्थापना की गयी है। इस मंडी के माध्यम से आदिवासियों की आमदनी में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इस सफलता को देखते हुए मैं कोटड़ा, सलूंबर एवं गोगुन्दा में भी वन उपज मंडी यार्ड खोलने की घोषणा करती हूं।

(199) मैं आगामी वर्ष में Forester के 500 एवं Forest Guard के 2 हजार रिक्त पदों के विरुद्ध भर्ती किए जाने की घोषणा करती हूं।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

(200) राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है कि हमारे औद्योगिक क्षेत्र प्रदूषण-मुक्त हों। औद्योगिक क्षेत्रों में effluent की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण के लिए 'Pollution Control and Management System' को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। यह सिस्टम Supervision Control and Data Acquisition (SCADA) तकनीक पर आधारित होगा।

(201) औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों से निकलने वाले effluent के उपचार एवं निष्पादन व्यवस्थाओं के स्थायी निदान के लिए मैं यह घोषणा करती हूं कि विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में CETPs के upgradation एवं भविष्य में स्थापित होने वाले CETPs के लिए रुपये 100 करोड़ का एक corpus fund बनाया जाएगा। इसमें राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं RIICO का 50:50 प्रतिशत अंशदान होगा।

(202) प्रदेश में वाहनों के धुएं, निर्माण गतिविधियों, औद्योगिकीकरण आदि से बढ़ते वायु प्रदूषण की निरंतर जांच हेतु 7 जिलों में 10 Continuous Ambient Air Quality Monitoring Stations संचालित हैं। अब मैं, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा शेष 26 जिलों में रुपये 60 करोड़ की लागत से ऐसे Stations की स्थापना की घोषणा करती हूं।

पत्रकार कल्याण:

(203) फोटो जर्नलिस्ट एवं न्यूज कैमरामैन के निजी उपकरणों, जैसे Video Cameras एवं Still Camera इत्यादि के लिए बीमा योजना लागू की जाएगी।

(204) ऐसे पत्रकार जिनके पास पूर्व में अपने अथवा परिवार के नाम पर सरकारी योजना में भूखंड अथवा आवास आवंटित नहीं हैं, उन्हें राज्य में मकान बनाने के लिए अधिकतम रुपये 25 लाख तक के आवासीय ऋण लेने पर ब्याज अनुदान दिये जाने से संबंधित योजना बनायी जाएगी।

(205) असाध्य रोग से ग्रसित होने पर पत्रकारों एवं साहित्यकारों के आश्रितों को भी पत्रकार एवं साहित्यकार कल्याण कोष से रुपये 1 लाख तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवायी जाएगी।

सूचना प्रौद्योगिकी:

(206) मुझे सदन को यह बताते हुए गर्व है कि राज्य को Bhamashah, RajDharaa, Abhay Centre, BSBY, Big-Data analytics इत्यादि परियोजनाओं को मिले पुरस्कारों के साथ-साथ लगातार दूसरे वर्ष भी 'Best e-Governance State' का पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

(207) भामाशाह के माध्यम से बैंक खातों में हस्तांतरित नकद लाभों का सही फायदा देने के लिए हमने 25 हजार pay points स्थापित किए थे। अब ग्रामीण क्षेत्रों में यह सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए हम 1 हजार और Bhamashah ATM स्थापित करेंगे।

(208) विगत वर्ष सरकार ने पंचायत स्तरीय सेवा केन्द्रों पर ई-मित्र सर्विस ATM प्रारंभ किये। इसी कड़ी में आगामी वर्ष में शहरी क्षेत्रों के लिए 2 हजार 500 ई-मित्र प्लस स्थापित किये जाएंगे।

(209) राजधरा एकीकृत GIS Platform का लाभ सीधे आमजन तक पहुंचाने के लिए राजधरा सिटीजन मोबाइल एप लाया जाएगा जिससे toutism calendar,traffic routes-diversion एवं ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी hand held devices पर जन सामान्य एवं पर्यटकों को उपलब्ध होगी।

(210) हमने इस वर्ष Ease of doing business के तहत building Plan proposal को सफलतापूर्वक IT enabled किया है। अब इसे 3D Building infrastructure Model (BIM) based किया जाकर 4 smart cities जयपुर, उदयपुर, अजमेर तथा कोटा में लागू किया जाएगा।

कर प्रस्ताव

(211) अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से अब मैं अपने कर प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं।

व्यापारी कल्याण:

(212) राज्य सरकार का स्पष्ट मत है कि राजस्व संग्रहण में व्यापारियों/उद्यमियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अत: व्यापारियों/उद्यमियों का कल्याण हमारा दायित्व है। इस दिशा में ऐसे व्यापारियों के सुझाव,

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

समस्याओं और शिकायतों के जल्दी निस्तारण, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा/बीमा योजनाओं को बनाना और क्रियान्वित करना, संबंधित क़ानूनों/नियमों में सरलीकरण हेतु सुझाव देने आदि के उद्देश्य से मैं राज्य में व्यापारी कल्याण बोर्ड स्थापित करने की घोषणा करती हूं। इसके लिए राज्य सरकार 10 करोड़ रुपये के initial corpus से व्यापारी कल्याण निधि स्थापित करेगी।

औद्योगिक निवेश हेतु प्रोत्साहन

(213) GST लागू होने के पश्चात VAT तथा CST आधारित अनुदान अब SGST के आधार पर दिये जाएंगे जो उद्यमियों के बैंक खातों में सीधे transfer किये जाएंगे।

(214) मनोरंजन तथा पर्यटन क्षेत्र की इकाइयों को GST लागू होने से पूर्व प्रोत्साहन के रूप में Entertainment Tax तथा Luxury Tax से छूट उपलब्ध थी। ऐसे उद्यमों को भी SGST आधारित अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान के मूल निवासियों को रोजगार में प्राथमिकता प्रदान करने के उद्देश्य से, अध्यक्ष महोदय, सब लोग बार-बार कह रहे थे, तो

(215) राजस्थान के मूल निवासियों को रोजगार में प्राथमिकता प्रदान करने के उद्देश्य से, उनके लिए employment subsidy की प्रत्येक श्रेणी में 5000 रुपये की वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। इसी क्रम में most backward area तथा backward area में स्थापित उद्यमों में राज्य के मूल निवासियों को रोजगार प्रदान करने पर अनुदान की वर्तमान श्रेणीवार सीमा 40000 रुपये तथा 35000 रुपये को बढ़ाकर क्रमश: 45000 रुपये व 40000 रुपये किया जाना प्रस्तावित है ताकि लोकल लोगों को नौकरियों में लेने का काम वह इण्डस्ट्री करे।

(216) IT sector, मनोरंजन तथा पर्यटन क्षेत्र की इकाइयों की स्थापना के लिए बहुमंजिला व्यावसायिक भवनों में space/floor की खरीद या lease पर देय स्टाम्प डयूटी में 50 प्रतिशत छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

(217) निवेशकों की विभिन्न समस्याओं जैसे Environmental

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

clearance इत्यादि में देरी होने की वजह से RIPS- 2010 का operative period दिनांक 31 मार्च, 2020 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। इसी क्रम में RIPS- 2014 का operative period भी दो वर्ष बढ़ाया जाकर दिनांक 31 मार्च, 2021 तक किया जाना प्रस्तावित है।

MSME को प्रोत्साहन:

(218) राज्य के औद्योगिक परिदृश्य में MSME इकाइयों का विशेष योगदान है। इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मैं निम्नानुसार अनुदान और अन्य सुविधाएं दिये जाने की घोषणा करती हूं:-

Investment subsidy की सीमा 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत का प्रस्ताव करती हूं।

इस क्षेत्र की sick units को राहत देने के लिए SGST को 24 किश्तों में जमा कराने की सुविधा दिया जाना प्रस्तावित है।

इसके साथ ही इन sick units को rehabilitation package जारी होने की तिथि से आगामी एक वर्ष के लिए Electricity Duty में शत-प्रतिशत छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

(219) MSME क्षेत्र की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दिये जाने की घोषणा करती हूं:-

- credit guarantee Trust for micro and enterprises (CGTMSE) योजना के अंतर्गत भुगतान की गई guarantee fee को 1 लाख रुपये की सीमा तक पुनर्भरण किया जाएगा।
- मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय संस्थान से Technology acquisition हेतु भुगतान किये गए शुल्क को 50 प्रतिशत की सीमा तक पुनर्भरण किया जाएगा जो 10 लाख से अधिक नहीं होगा।
- भारत सरकार की Zero Defect and effect (ZED) योजना के अंतर्गत कम से कम silver category प्राप्त करने हेतु स्थापित संयंत्र/ परीक्षण उपकरण के खरीद मूल्य का 50 प्रतिशत पुनर्भरण 5 लाख रुपये की सीमा तक किया जाएगा।
- Energy Audit/ water Audit/ safety Audit के लिए किए गये कुल

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

खर्च का 75 प्रतिशत पुनर्भरण, प्रत्येक के लिए 1 लाख रुपये की सीमा तक किया जाएगा।

- भारत सरकार के MSME मंत्रालय की performance and credit Rating scheme के अंतर्गत कार्य निष्पादन तथा क्रेडिट रेटिंग कराने पर हुए खर्च का 10 हजार रुपये की सीमा के अंतर्गत 25 प्रतिशत पुनर्भरण किया जाएगा।

कृषि आधारित उद्योग को प्रोत्साहन:

(220) कृषि आधारित उद्योगों और सेवाओं को प्रोत्साहन देने के क्रम में ब्याज अनुदान की वर्तमान सीमा रुपये 5 लाख प्रतिवर्ष को बढ़ाकर रुपये 7.50 लाख प्रतिवर्ष किये जाने की घोषणा करती हूं। साथ ही महिलाओं, विशेष योग्यजनों, अनुसूचित जाति/जनजाति तथा 40 वर्ष तक की आयु के राज्य के मूल निवासी उद्यमियों के लिए ब्याज अनुदान 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत किये जाने की घोषणा करती हूं।

(221) TSP Area के मूल निवासियों को स्वरोजगार प्रोत्सहान हेतु agro processing and agri Marketing sector की RIPS-2014 में अधिसूचित manufacturing and processing गतिविधियों के लिए वर्तमान में उपलब्ध incentives के साथ 20 लाख तक के बैंक ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।

(222) कृषि जिन्सों की primary market के लिए cleaning, trimming, grading आदि गतिविधियों को RIPS-2014 के अंतर्गत प्रोत्साहन लाभ उपलब्ध है। कृषि जिन्सों की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से supply chain के सभी स्तरों पर इन गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।

(223) वर्तमान में RIPS-2014 के अंतर्गत न्यूनतम 5000 MT भण्डारण क्षमता तथा 2.50 करोड़ रुपये के निवेश पर ही non-refrigerated warehouse को लाभ उपलब्ध है। राज्य के किसानों को उत्पादन क्षेत्रों में वैज्ञानिक भण्डारण तथा विपणन सुविधाओं की पहुंच बढ़ाये जाने के लिए प्रोत्साहन की पात्रता हेतु उक्त भण्डारण सीमा को घटाकर 3000 MT तथा

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)
निवेश राशि को घटाकर 1.50 करोड़ किये जाने की घोषणा करती हूं जिससे कि अधिक से अधिक किसान लाभान्वित हो सकें।

(224) भारत सरकार द्वारा घोषित Operation Green के समर्थन में किसानों द्वारा उत्पादित आलू, प्याज तथा टमाटर इत्यादि की फ़सलों को ताजे रूप में destination तक पहुंचाने के लिए Reefer Van (Cold chain) को RIPS-2014 में शामिल किया जाना प्रस्तावित है।

(225) राज्य के Most Backward Areas में Agro processing and Agri Marketing sector, Bio Techonology sector और IT sector में 50 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले प्रत्येक sector के first project को RIPS-2014 के अंतर्गत 5 करोड़ की सीमा तक infrastucture Support Subsidy दिया जाना प्रस्तावित है।

राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग:

(226) उपनिवेशन क्षेत्रों के किसानों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से इन क्षेत्रों के सभी श्रेणी के आंवटियों को कृषि भूमि आवंटन के पेटे बकाया किश्तों की राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में वर्तमान में दी जा रही शत-प्रतिशत छूट की समय सीमा दिनांक 31.12.2018 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

(227) राजस्थान में काश्तकारों द्वारा उठायी गयी मांग को देखते हुए राज्य में कृषि भूमि पर लगने वाले सिंचाई क्षेत्र के स्थाई लगान (भू-राजस्व) को (खरीफ संवत् 2075) वित्तीय वर्ष 2018-19 से माफ किये जाने की घोषणा करती हूं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अब बोलो ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: जोगाराम जी, जोगाराम जी, बैठिए, बैठिए । ...(व्यवधान)...

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): इससे राज्य के लगभग 40 से 50 ...(व्यवधान)... इससे राज्य के लगभग 40 से 50 लाख कृषकों को राहत प्राप्त होगी।

एक और बात, इसके पश्चात राज्य का प्रत्येक किसान सभी प्रकार के स्थाई लगान से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा।   ...(व्यवधान)...

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

(228) वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में जिन व्यक्तियों ने अपनी कृषि भूमि का बिना अनुमति अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग कर लिया है तो इसे regularization करने के लिए देय penalty राशि conversion fee के चार गुणा से घटाकर डेढ़ गुना करने की घोषणा करती हूं। यह छूट 31 दिसम्बर, 2018 तक प्रभावी रहेगी।

पंजीयन एवं मुद्रांक:

(229) आम जनता को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से stamp duty तथा registration fees में कमी किया जाना प्रस्तावित है:-

राज्य के किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए urban areas या urbanisable limits या peripheral belt of urban area के बाहर स्थित 1000 वर्गमीटर तक की कृषि भूमि का मूल्यांकन आवासीय के स्थान पर कृषि भूमि की दर से किये जाने की घोषणा करती हूं।

किसानों और आमजन की मांग को ध्यान में रखते हुए परिवार के सदस्यों द्वारा 10 लाख रुपये मूल्य तक की ancestral property की release deed पर राहत प्रदान करते हुए स्टाम्प ड्यूटी अधिकतम 2000 रुपये से घटाकर 500 रुपये करने की घोषणा करती हूं।

Ancestral property की release deed पर stamp duty में उपलब्ध रियायतों का लाभ मामा तथा भांजा/भांजी द्वारा executed release deed पर भी दिये जाने की घोषणा करती हूं। ये रह गये थे।

गत वर्ष non-ancestral property के विभाजन पर registration fees की दर को एक प्रतिशत से घटाकर 0.25 प्रतिशत तथा अधिकतम 10,000/- रुपये किया गया था। अब मैं ancestral property के विभाजन पर भी registration fees की दर को एक प्रतिशत से घटाकर 0.25 प्रतिशत तथा अधिकतम 10,000/- रुपये किये जाने की घोषणा करती हूं।

समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आवास का सपना पूरा करने के लिये मुख्य मंत्री जन आवास योजना के तहत EWS तथा LIG श्रेणी के व्यक्तियों के पक्ष में आबंटित आवासीय यूनिटों के दस्तावेजों पर stamp dutry की वर्तमान दर क्रमश: 2 प्रतिशत तथा 3.5 प्रतिशत को घटाकर

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

क्रमश: एक प्रतिशत और 2 प्रतिशत किये जाने की घोषणा करती हूं। साथ ही इस योजना के तहत executed agreement to sale documents पर पंजीयन शुल्क अधिकतम 10 हजार रुपये से घटाकर एक हजार रुपये करने की घोषणा करती हूं।

समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के पक्ष में स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों आदि द्वारा कच्ची बस्तियों, भूमियों का कमजोर वर्ग को आबंटन, State Grant Act इत्यादि के तहत नि:शुल्क या token money के बदले पट्टे जारी किये जाते हैं। ऐसे मूल पट्टों पर स्टाम्प ड्यूटी घटाकर 100 रुपये तथा revalidated पट्टों पर 125 रुपये करने की घोषणा करती हूं।

गत बजट में उच्च शिक्षा के लिए, Rajasthan Startup Policy-2015 के अंतर्गत राज्य में startup स्थापित करने के लिए, MUDRA योजना के अंतर्गत non-corporate small business sector को 10 लाख रुपये तक के loan दस्तावेजों तथा senior citizens द्वारा executed reverse mortgage के दस्तावेजों पर पर 31 मार्च, 2018 तक stamp duty में पूर्ण छूट प्रदान करने की घोषणा की थी। इन दस्तावेजों पर stamp duty की छूट 31 मार्च, 2019 तक बढ़ाये जाने की घोषणा करती हूं।

वर्ष 2015-16 के बजट में Loan Agreement, Equitable Mortgage तथा Mortgage without possession के दस्तोवजों पर स्टाम्प ड्यूटी घटाकर 0.15 प्रतिशत की थी। Bond तथा Additional Secutiy के दस्तावेज भी समान प्रकृति के हैं, अत: इन दस्तावेजों पर भी स्टाम्प ड्यूटी घटाकर 0.15 प्रतिशत करने की घोषणा करती हूं।

राज्य में कम्पनियों के पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से Articles of Association of Company के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी 0.5 प्रतिशत से घटाकर 0.15 प्रतिशत, न्यूनतम 5000 रुपये तथा अधिकतम 25 लाख रुपये किये जाने की घोषणा करती हूं।

Digital payment को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैंक तथा मर्चेण्ट के बीच POS machine के सम्बन्ध में निष्पादित एग्रीमेंट पर स्टाम्प ड्यूटी माफ किये जाने की घोषणा करती हूं।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

Securities के खरीद-बेचान के लिये Client द्वारा पंजीकृत Broker के पक्ष में निष्पादित power of attorney पर स्टाम्प ड्यूटी 200/- रुपये से घटाकर 100/- रुपये किये जाने की घोषणा करती हूं।

गत बजट में मेरे द्वारा 20 वर्ष तक की लीज पर पंजीयन शुल्क घटाकर स्टाम्प ड्यूटी का 20 प्रतिशत किया गया था। आम जनता को और अधिक राहत प्रदान करते हुए मैं अब 30 वर्ष तक की लीज पर पंजीयन शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी का 20 प्रतिशत लिये जाने की घोषणा करती हूं।

वर्तमान में दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क एक प्रतिशत और अधिकतम 4 लाख रुपये है। आम जनता को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से पंजीयन शुल्क की अधिकतम सीमा को 4 लाख से घटाकर 3 लाख करने की घोषणा करती हूं।

Mixed Land Use के पट्टों की भूमि के मूल्यांकन में रियायत प्रदान करते हुए ऐसी भूमि का मूल्यांकन वाणिज्यिक भूमि की मूल्यांकन दर के 75 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत से किये जाने की घोषणा करती हूं।

(230) विभिन्न संगठनों की मांगों को ध्यान में रखते हुए आमजन को सस्ती दर पर आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, मैं Agriculture, Residential तथा Commercial भूमि की वर्तमान DLC दरों में 10 प्रतिशत कटौती की घोषणा करती हूं। साथ ही जिन जिलों में जिला स्तरीय समिति की बैठक वर्ष 2017-18 में दिनांक 31.03.2018 तक आयोजित नहीं होती है तो ऐसे जिलों में दिनांक 01.04.2018 को Agriculture, Residential तथा Commercial भूमि की विद्यमान दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि नहीं की जाएगी।

(231) साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 में Agriculture, Residential तथा Commercial भूमि की मूल्यांकन की दरों में DLC द्वारा कोई वृद्धि नहीं किये जाने की भी घोषणा करती हूं।

(232) Real Estate Industry में व्याप्त मंदी को ध्यान में रखते हुए, मैं, 3000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के आवासीय और वाणिज्यिक भूखण्डों के मूल्यांकन पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त रियायत प्रदान करने की घोषणा करती हूं।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

(233) Ease of Doing Business के तहत आम जनता को दस्तावेजों के registration तथा सम्पत्ति के mutation आदि में सहूलियत प्रदान करने के लिये निम्नलिखित घोषणाएं करती हूं:-

e-panjiyan व्यवस्था से जोड़े जा चुके सभी 518 उप-पंजीयक कार्यालयों में आम जनता को घर बैठे ही online दस्तावेज तैयार करने तथा पंजीयन हेतु online प्रस्तुतीकरण की व्यवस्था को phased manner में लागू किया जाना प्रस्तावित है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के हस्तांतरण के दस्तावेज का पंजीयन होते ही क्रेता के पक्ष में ऐसी भूमि के mutation की प्रक्रिया को शीघ्र सम्पन्न करने के लिए राज्य की 16 तहसीलों में पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के e-panjiyan software तथा राजस्व विभाग के e-dharti software का integraion किया जा चुका है। आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य की 100 तहसीलों में e-panjiyan तथा e-dharti का integration किया जाना प्रस्तावित है।

साथ ही अब नगरीय भूमि के mutation के लिये e-panjiyan software में दस्तावेज के पंजीयन की सूचना नगरीय विकास विभाग तथा स्वायत्त शासन विभाग के Smart-raj software में प्रेषित किये जाने की व्यवस्था की जाएगी।

सितम्बर, 2015 से अगस्त, 2017 तक गत 2 वर्षों के पंजीबद्ध दस्तावेजों की scanning & indexing का कार्य इस वर्ष प्रारम्भ किया जा चुका है। अब आगामी वित्तीय वर्ष में सितम्बर, 2012 से अगस्त, 2015 तक की अवधि के दस्तावेजों की scanning & indexing का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

Collector (Stamps) द्वारा पारित निर्णयों को online उपलब्ध कराया जाएगा।

राज्य में अब तक 484 उप पंजीयक कार्यालयों को ई-स्टाम्प से जोड़ा गया है। आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य में शेष बचे हुए 34 उप पंजीयक कार्यालयों को भी ई-स्टाम्प से जोड़ने की घोषणा करती हूं।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

(234) आम जनता को stamp dury से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण का एक और अवसर प्रदान करते हुए मैं बकाया stamp duty का भुगतान करने पर ब्याज और शास्ति में शत-प्रतिशत छूट के सम्बन्ध में चल रही amnesty scheme की अवधि 31 मई, 2018 तक बढ़ाने की घोषणा करती हूं।

(235) राजस्थान स्टाम्प अधिनियम में कम्पनियों के Amalgamation/ demerger के आदेश conveyance की परिभाषा में सम्मिलित हैं। Amalgamation/demerger के आदेशों के सम्बन्ध में कम्पनी अधनियम, 2013 के प्रावधान लागू होने के फलस्वरूप राजस्थान स्टाम्प अधिनियम में conveyance की परिभाषा में तद्नुसार संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

(236) Tolls के collection से सम्बन्धित Agreement को Concession Agreement की परिभाषा में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही Concession agreement तथा Partnership deed से सम्बन्धित दस्तावेजों की परिभाषाओं को सरलीकृत करते हुए इन दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की दरों में संशोधन किया जाना प्रस्तावित करती हूं।

(237) जिन जिलों में उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक के कार्यालय स्थापित हैं, उन जिलों में पंजीयन अधिनियम के तहत जिला पंजीयक की शक्तियां उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक को देने की घोषणा करती हूं।

(238) राज्य सरकार के विभागों, स्थानीय निकायों, राजकीय उपक्रमों, राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित अन्य संस्थाओं, banking और non-banking institutions के द्वारा समक्ष प्रस्तुत non-registrable documents पर नियमानुसार देय stamp duty की वसूली सुनिश्चित करने के लिये नियमों में आवश्यक प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

(13.00 बजे)

VAT संबंधी निराकरण:

(239) Dealers की VAT संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा निम्न विशेष प्रयास किये जा रहे हैं:-

- वर्ष 2016-17 और 2017-18 से संबंधित Return Forms VAT-

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

10, 11 तथा 10A को submit करने की समय सीमा दिनांक 31.03.2018 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

- व्यवहारियों की कठिनाइयों के संदर्भ में ITC mismatch के संदर्भ में शेष रहे मामलों के जल्दी निस्तारण के लिये सत्यापन की सरल प्रक्रिया अपनाते हुए camps लगाये जाना प्रस्तावित है।

(240) GST आने से पूर्व Dealers के विरुद्ध बकाया मांगों के निस्तारण के लिये वर्ष 2015 से 2017 की अवधि में समय-समय पर VAT, प्रवेश कर, मनोरंजन कर, विलासिता कर तथा मोटरयानों पर प्रवेश कर से संबंधित Amnesty Schemes लागू की गयी जिसके अंतर्गत पिछले 3 वर्षों में लगभग 2 लाख प्रकरणों में व्यापारियों को राहत प्रदान की गयी।

(241) GST लागू होने पर Repealed Acts से संबंधित बकाया मांग के प्रकरणों के निस्तारण के लिये संबंधित अधिनियमों में अपेक्षित संशोधन होने पर Amnesty Schemes लाया जाना प्रस्तावित है।

GST की दरों में कमी तथा सरलीकरण:

(242) दिनांक 01.07.2017 से सम्पूर्ण भारत में GST लागू किया गया है। मुझे सदन को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि One Nation, One Tax के हम सबके सपने को साकार करते हुए GST के लागू होने से पिछले सात माह में राज्य को निम्नलिखित लाभ हुए हैं:-

- 1,81,000 से अधिक नये कर दाताओं ने GST में पंजीयन करवाया है। इस प्रकार राज्य के VAT tax base की तुलना में 35 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।
- आम आदमी और किसानों के उपयोग में आने वाली लगभग 90 प्रतिशत commodities में Pre- GST के कर भार (VAT+ Excise) की तुलना में GST के कर भार में कमी आयी है।
- आम आदमी पर कर भार में कमी आने के साथ-साथ GST के अंतर्गत राज्य के राजस्व में VAT की अपेक्षा अधिक वृद्धि हुई है। राजस्व की सुरक्षा के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 को

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

base year मानते हुए प्रति वर्ष 14 प्रतिशत से राजस्व की वृद्धि का प्रावधान compensation के रूप में किया गया है। माह अक्टूबर तक की अवधि के लिये राज्य को 1911 करोड़ रुपये compensation मिला है तथा माह नवम्बर- दिसम्बर, 2017 के लिये लगभग 751 करोड़ रुपये शीघ्र ही प्राप्त होना अपेक्षित है।

- आम जन के उपयोग में आने वाली वस्तुओं की GST दर को कम कराने के लिये राज्य सरकार ने GST Council में सतत् प्रयास किये। राज्य के कुछ महत्वपूर्ण व्यापार क्षेत्र जैसे कि Marble and Granite, Gems and Jewellery, Handicraft, Textiles, Hotels/ Tourism, Agriculture इत्यादि की दर GST दरों में राज्य के प्रयासों द्वारा निम्न प्रकार से कमी आई है:-

वस्तुएं तथा सेवाएं	**GST दरों में कमी**
• मार्बल और ग्रेनाइट slabs and tiles	28% से 18%
• Precious Stones (Worked)	3% से 0.25%
• मूंगा (Worked Coral)	28% से 5%
• Synthetic Yarn	18% से 12%
• Sprinklers (Including nozzles) drip irrigation system and mechanical sprayer	18% से 12%
• Tractor Parts	28% से 18%
• Chemical Fertilizers	12% से 5%
• Hotels	5000 रुपये से 7500 रुपये प्रति दिन किराये के कमरों पर 28% के स्थान पर 18%
• Handicraft तथा Textile से संबंधित Job working	18% से 5%

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

- कुछ वस्तुओं जैसे कि मेहंदी Paste in cones की GST दरें स्पष्ट नहीं थीं जिसके लिये राज्य सरकार के प्रयास से GST Council द्वारा कर दर स्पष्ट करते हुए 5 प्रतिशत की कर दर में रखने हेतु अधिसूचित किया गया है।
- इसी प्रकार राज्य सरकार के affordable housing schemes जैसे कि मुख्य मंत्री जन आवास योजना में भूमि के मूल्य के संबंध में स्पष्टता नहीं थी। इस विषय में भी GST Council से स्पष्टीकरण करवाया गया तथा ऐसी Schemes में 1/3 deduction का लाभ देते हुए effective कर दर को 8 प्रतिशत माना है।
- इसी प्रकार Kota Stone Tiles, मार्बल की देवी-देवताओं की मूर्तियों इत्यादि पर GST दर कम कराने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है।

GST अधिनियम तथा प्रक्रिया में सुधार:

(243) छोटे व्यवसायियों तथा MSME Sector की कठिनाइयों के निराकरण के लिये GST Council में कई निर्णय करवाये गये हैं जैसे कि-

- Composition के लिए threshold सीमा जो पहले 50 लाख रुपये थी इसे बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है। GST अधिनियम में संशोधन के बाद इसे बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये किया जाना प्रस्तावित है।
- 1.5 करोड़ रुपये से कम annual turnover वाले व्यवसायियों को quarterly आधार पर GSTR-1 return प्रस्तुत करने की सुविधा दी गयी है।
- Return Filing की due date को आगे बढ़ाने के साथ-साथ return filing में देरी होने पर लगने वाली fees तथा penalty को माफ किया गया है।

(244) Dealers को GSTN online access करने, return filing, registration, GST संबंधी परामर्श इत्यादि सुविधाएं बहुत ही nominal charges पर उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार ने तहसील स्तर तक

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

500 से अधिक GST-mitra केन्द्र स्थापित करके एक अभिनव प्रयास किया है। इन केन्द्रों के माध्यम से GSTN से संबंधित उपरोक्त सुविधाएं 1 अप्रैल, 2018 से प्रदान की जाएगी।

परिवहन विभाग:

(245) बजट वर्ष 2015-16 में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से IATO और RATO से मान्यता प्राप्त Tourist Operators की luxury बसों के लिए 12500 रुपये की अधिकतम सीमा तय कर देय "Monthly Special Road Tax" में 30.04.2018 तक छूट प्रदान की गयी थी। इन वाहनों पर Monthly Special Road Tax की यह छूट दिनांक 30 जून, 2020 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

(246) वर्तमान में हवाई अड्डों के अंदर चलने वाली Air Line कम्पनियों की बसों को Contract Carriage मानकर Monthly Special Road Tax निर्धारित किया जाता है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन बसों पर chassis की कीमत का 10 प्रतिशत अथवा Complete Bus की कीमत का 6 प्रतिशत Lump Sum Tax का विकल्प दिया जाना प्रस्तावित है।

(247) वाहन स्वामियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से Amnesty Scheme-2018 के अंतर्गत निम्न राहत दिया जाना प्रस्तावित है:-

- ऐसे वाहन जो अस्तित्व में नहीं हैं तथा नष्ट हो चुके हैं को Vehicle destruction का संतोषजनक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर वाहन के नष्ट होने के बाद का कर तथा penalty माफ किया जाना प्रस्तावित है। वाहन मालिक को बकाया राशि दिनांक 30.09.2018 तक जमा करवानी होगी तथा इसके पश्चात् वाहन का पंजीयन प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।
- अन्य राज्यों में Registered Non-Transport Vehicles जो राजस्थान राज्य में उपयोग के लिये लाये गये हैं उन पर दिनांक 31.01.2018 तक के देय One Time Tax पर ब्याज व शास्ति माफ किया जाना प्रस्तावित है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

- मोटर वाहनों पर दिनांक 31.03.2016 के बकाया कर को दिनांक 30.09.2018 तक जमा कराने पर इस पर देय penalty को माफ किया जाना प्रस्तावित करती हूं।

(248) 16500 किलोग्राम से अधिक Gross Vehicle Weight तक के वाहनों पर Lump Sum Tax की वर्तमान दर Articulated Vehicle की कीमत का 20 प्रतिशत तथा Non- Articulated Vehicle पर कीमत का 11 प्रतिशत वैकल्पिक रूप से प्रभावी है। इन दरों में कमी करते हुए इन यानों पर Lump Sum Tax की दर कीमत का 10 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

(249) राज्य में LPG/CNG/Solar Energy से संचालित यात्री वाहनों पर देय Lump Sum Tax की राशि में 25 प्रतिशत की छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

खान विभाग:

(250) प्रदेश के खातेदारों की लम्बे समय से मांग रही है कि खातेदारी भूमि में खनिज रियायतें संबंधित खातेदारों को प्राथमिकता के आधार पर आवंटित की जाए। मैं घोषणा करती हूं कि प्रदेश में खातेदारी भूमि में 4 हैक्टेयर क्षेत्रफल तक की minor mineral की खनिज रियायतें नीलामी से न दी जाकर प्रीमियम राशि तय कर संबंधित खातेदार को आवंटित की जायेगी।

(251) प्रदेश में वर्ष 2012-13 में खनिज बजरी के हजारों हेक्टेयर क्षेत्रफल के एकल खनन पट्टे दिये जाने से पर्यावरण clearance समय पर प्राप्त नहीं हुई, जिसके अभाव में बजरी खनन बंद हो गया और इस कारण बजरी के दाम बढ़ने से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रदेश में आम जन को बजरी सस्ती दरों पर सुगमता से उपलब्ध हो, इस हेतु मैं घोषणा करती हूं कि अब खनिज बजरी के छोटे साइज के खनन पट्टे दिये जाएंगे। इससे नीलामी में अधिक से अधिक बोलीदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी साथ ही पर्यावरण clearance समय पर प्राप्त होने से खनन भी सुचारु रूप से होगा और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

(252) प्रदेश में खनिजों के खनन के दौरान काफी मात्रा में

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

मलबा/ओवरबर्डन भी निकलता है। वर्तमान में मलबा/ओवरबर्डन के उपयोग पर 10/- रुपये प्रति टन की दर से special permit fee वसूल की जाती है। प्रदेश में Zero waste खनन नीति को बढ़ावा देने के उद्देश्य मैं उक्त special permit fee को समाप्त करने की घोषणा करती हूं।

(253) मकराना के बोरावड़ क्षेत्र की कुमारी पत्थर की खानों में मार्बल के खनन के दौरान वेस्ट के रूप में मार्बल खण्डों का भी उत्पादन होता है जिनका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में मकान, खेतों की दीवार बनाने इत्यादि कार्यों में किया जाता है। लम्बे समय से ग्रामीणों की मांग रही है कि इन खण्डों पर रायल्टी माफ की जाए। मैं, इस क्षेत्र की खानों से निकलने वाले मार्बल खण्डे जिनका उपयोग masonry stone के रूप में किया जाता है, पर रायल्टी समाप्त करने की घोषणा करती हूं।

यह मेरी 'सुराज संकल्प यात्रा' में घोषणा भी थी।

स्थानीय निकाय/नगरीय विकास एवं आवासन विभाग:

(254) आमजन को राहत देने के उद्देश्य से नगरीय निकायों/ नगर विकास न्यासों/ राजस्थान आवासन मण्डल/ जयपुर, जोधपुर तथा अजमेर विकास प्राधिकरण की बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा कराये जाने पर वर्तमान में दी जा रही ब्याज राशि में शत-प्रतिशत छूट की समय सीमा दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

(255) विकास प्राधिकरणों/नगर विकास न्यासों/राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा दिनांक 01.01.2001 से आवंटित EWS/LIG आवासों की बकाया किश्तों की राशि आवंटियों द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 तक एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज तथा शास्ति में शत-प्रतिशत की छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

(256) आमजन को राहत देने के उद्देश्य से नगर निकायों की तरफ बकाया Urben Development Tax जमा कराये जाने पर देय ब्याज तथा शास्ति की राशि में शत-प्रतिशत छूट दिया जाना प्रस्तावित है। इस छूट का लाभ 01 अप्रैल, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 तक प्रभावी रहेगा।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग:

(257) घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से जल प्रभार शुल्क के पेटे दिनांक 30 नवम्बर, 2017 तक की बकाया राशि एकमुश्त जमा कराये जाने पर वर्तमान में दी जा रही ब्याज तथा शास्ति की छूट को दिनांक 31.12.2018 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

जल संसाधन विभाग:

(258) राज्य के किसानों को राहत प्रदान करने के लिये 31 जनवरी, 2018 तक की बकाया सिंचाई कर की राशि 31 दिसम्बर, 2018 तक एकमुश्त जमा कराये जाने पर ब्याज में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी।

(259) इन कर प्रस्तावों में कोई भी नया कर नहीं लगाया जा रहा है तथा इन कर प्रस्तावों से लगभग 650 करोड़ रुपये से अधिक की राहत दी गयी है।

(260) इन कर प्रस्तावों के अतिरिक्त कुछ अधिनियमों के प्रावधानों में भी संशोधन प्रस्तावित है। इन संशोधनों के संबंध में विस्तृत उद्देश्य और प्रयोजन वित्त विधेयक में वर्णित हैं।

(261) इन प्रस्तुत कर प्रस्तावों और घोषणाओं की क्रियान्विति के लिये तथा कुछ और अन्य प्रयोजनार्थ भी अधिसूचनाएं जारी जा रही हैं।

संशोधित अनुमान वर्ष 2017-18 एवं बजट अनुमान वर्ष 2018-19:

(262) मैं यह बताना चाहूंगी कि आय-व्ययक अनुमान 2017-18 में रुपये 13 हजार 528 करोड़ 3 लाख का राजस्व घाटा अनुमानित किया गया था। वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में विद्युत वितरण कम्पनियों को उदय योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये ऋण को 3 वर्षों अर्थात् वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक, अंश पूंजी एवं अनुदान के रूप में conversion किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2017-18 व 2018-19 में प्रतिवर्ष रुपये 15 हजार करोड़ के ऋण को रुपये 3 हजार करोड़ की अंश पूंजी एवं रुपये 12 हजार करोड़ के अनुदान में conversion किये जाने का प्रस्ताव है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

(263) ऋण को अनुदान में conversion की राशि रुपये 12 हजार करोड़ के बिना संशोधित अनुमान वर्ष 2017-18 में राजस्व घाटा राशि रुपये 8 हजार 165 करोड़ 98 लाख संभावित है। इसका मुख्य कारण उदय योजना अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों के बकाया ऋणों का राज्य सरकार द्वारा takeover किये जाने से, राज्य सरकार पर ब्याज भुगतान अतिरिक्त भार पड़ने तथा सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार, राज्य कर्मचारियों को नवीन वेतनमान दिये जाने के कारण वेतन एवं पेंशन भुगतान पर अतिरिक्त व्यय रहा है। साथ ही राज्य के स्वयं के राजस्व स्रोत यथा खनिज, पेट्रोलियम तथा राज्य उत्पाद शुल्क के राजस्व में कमी होना भी रहा है।

(264) विद्युत वितरण कम्पनियों को दिये गये ऋण को equity एवं grant में conversion को सम्मिलित करते हुए संशोधित अनुमान वर्ष 2017-18 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-

1.	राजस्व प्राप्तियां	1 लाख 34 हजार 692 करोड़ 53 लाख रुपये
2.	राजस्व व्यय	1 लाख 54 हजार 858 करोड़ 51 लाख रुपये
3.	राजस्व घाटा	20 हजार 165 करोड़ 98 लाख रुपये
4.	पूंजीगत खाते में प्राप्तियां	55 हजार 944 करोड़ 34 लाख रुपये
5.	पूंजीगत खोत में व्यय	35 हजार 756 करोड़ 61 लाख रुपये
6.	पूंजी खाते में आधिक्य	20 हजार 187 करोड़ 73 लाख रुपये

(265) इसी प्रकार आय-व्ययक अनुसार वर्ष 2018-19 का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

1.	राजस्व प्राप्तियां	1 लाख 51 हजार 663 करोड़ 50 लाख रुपये
2.	राजस्व व्यय	1 लाख 69 हजार 118 करोड़ 35 लाख रुपये
3.	राजस्व घाटा	17 हजार 454 करोड़ 85 लाख रुपये
4.	पूंजीगत खाते में प्राप्तियां	60 हजार 661 करोड़ 62 लाख रुपये
5.	पूंजीगत खोत में व्यय	43 हजार 156 करोड़ 31 लाख रुपये
6.	पूंजी खाते में आधिक्य	17 हजार 505 करोड़ 31 लाख रुपये

राजकोषीय घाटा:

(266) वर्ष 2018-19 के बजट अनुमानों में राजकोषीय घाटा 28 हजार 11 करोड़ 21 लाख रुपये अनुमानित है, जो कि GSDP का 2.98 प्रतिशत है, जो कि FRBM Act की निर्धारित सीमा में है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

(267) वर्ष 2016 में FRBM Act में सरकार द्वारा दी जाने वाली guarantees की सीमा निर्धारित की गयी थी। वर्ष 2017-18 के संशोधित अनुमानों में government guarantees निर्धारित सीमा के अन्तर्गत रहना अनुमानित है।

(268) मैं, वर्ष 2018-19 का वार्षिक वित्तीय विवरण, सभा पटल पर रख रही हूं। साथ ही, राजस्थान राज वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 की अपेक्षानुसार मध्यकालिक राज वित्तीय नीति विवरण, राज वित्तीय नीतियुक्त विवरण एवं प्रकटीकरण विवरण, मैं सभा पटल पर रख रही हूं। अन्य बजट पत्रों के साथ अनुदान की मांगें भी प्रस्तुत की जा रही हैं। विगत चार वर्षों में हमने विषम आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद कई क्षेत्रों में ठोस परिणाम हासिल किये हैं। विकास की दृष्टि से Transformation Initiatives का Implementation किया है और इस बजट में भी इसको जारी रखा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में कहना चाहूंगी-

'मंजिल यूं ही नहीं मिलती दोस्तों,
एक जुनून जगाना पड़ता है।
पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है,
बोली, तिनका-तिनका उठाना पड़ता है।'

मैं टीम राजस्थान के प्रत्येक सदस्य को धन्यवाद देना चाहती हूं, जिनकी भागीदारी प्यार और आशीर्वाद से हम विकास की नयी मंजिलें हासिल कर पाये है' और निरंतर नयी मंजिलें हासिल करते रहेंगे।

(269) इन्हीं भावनाओं के साथ मैं बजट प्रस्तावों को स्वीकृत करने की संस्तुति के साथ माननीय सदन के विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करती हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती वसुन्धरा राजे, मुख्य मंत्री, राजस्थान राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2018-19 का उपस्थापन करेंगी और उसे सदन की मेज पर रखेंगी।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2018-2019 का उपस्थापन

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

करती हूं एवं इसे सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती वसुन्धरा राजे, मुख्य मंत्री, राजस्थान वित्त विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगी।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान वित्त विधेयक, 2018

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान वित्त विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगी।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आपकी अनुमति से राजस्थान वित्त विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करती हूं।

श्री अध्यक्ष: सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 14 फरवरी 2018 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.17 बजे बुधवार, दिनांक 14 फरवरी 2018 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)